UPMO010028972015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट नं0 3, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– रघुबर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा UP01690)

सत्र परीक्षण संख्या–734/2015

उत्तर प्रदेश राज्य .... **अभियोजन पक्ष।**

बनाम

1. उस्मान पुत्र असलम (**मृतक दौराने विचारण**)
निवासीः सरवरखेड़ा, थाना कुण्डा, जिला ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।

2. अनीस अहमद पुत्र नवी अहमद
निवासीः शेरपुर कलां, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

3. श्रीमती मकबूलन पत्नी स्व0 नवी अहमद (**मृतक दौराने विचारण**)
निवासीः शेरपुर कलां, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।
.... **अभियुक्तगण।**

मुकदमा अपराध संख्या–102/2015
धारा–363, 366, 376 भा0 दं0 सं0 व
धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट।
थाना–ठाकुरद्वारा, जिला–मुरादाबाद।

निर्णय

1. पुलिस थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद द्वारा अभियुक्तगण–उस्मान पुत्र असलम एवं अनीस पुत्र नवी अहमद के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्याः 102/2015, धारा–363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम–2012 तथा अभियुक्ता मकबूलन पत्नी स्व0 नवी अहमद के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्याः 102/2015, धारा–342, 323 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम–2012, विचारण हेतु, संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया, जिस पर तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्याः08, मुरादाबाद के द्वारा दिनाँक 23.06.2015 को प्रसंज्ञान लिया गया। पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुसार अन्तरित होकर, इस न्यायालय को प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियुक्तगण का, इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सम्प्रेक्षित की गयी है कि बलात्कार के मामलों में पीड़िता का नाम अंकित नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि उसकी पहचान न हो सके। इसी सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228–क में भी प्रावधान किया गया है।

Digitally signed by RAGHUBAR SINGH
Date: 2025.03.06 15:57:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>अतः निर्णय में पीड़िता के वास्तविक नाम का उल्लेख न कर, बल्कि केवल **'पीड़िता'** के नाम वर्णित किया जा रहा है।</u>

3. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्राथमिकीकर्ता/वादी मुकदमा हरनाम सिंह पुत्र जगदीश सिंह, निवासीः लक्ष्मीपुर पट्टी, मधुवन नगर, काशीपुर, उधम सिंह नगर, की कोतवाली प्रभारी, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को संबोधित टाइपशुदा तहरीर दिनांकित 12.03.2015 **<u>प्रदर्श क–1</u>,** जिसमें उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद की पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई है, में उल्लिखित है कि,".......मेरी पुत्री पीड़िता, जिसकी जन्मतिथि 20 जुलाई, 2000 है, जो दिनांक 23.02.2015 दिन सोमवार को प्रातः 06 बजे घर से कक्षा 10 की परीक्षा देने जनता इण्टर कालेज, गोपीवाला, कालेवाला, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, अपने भाई यशपाल सिंह के साथ गयी थी। उसने उसे प्रातः 07 बजे स्कूल गेट पर छोड़ दिया था। उसका पेपर 10.45 पर समाप्त हो जाता है। हमने उसका 2 बजे घर पर इंतजार किया, जब वह घर नहीं पहुंची तब हम कालेज जाकर प्रधानाचार्य जी से मिले, तब हमें ज्ञात हुआ कि वह पेपर में परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुई। हमने सभी रिश्तेदारों एवं जान पहचान वालों के यहां पूछताछ कर ली है, परंतु उसका कहीं पता नहीं चल सका और हमारे घर पर उसका एक मोबाइल चार्जर प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे फोन का नहीं है तथा एक मोबाइल नंबर लिखा मिला 9058662036, जो कि सतेन्द्र गुप्ता का ज्ञात हुआ है। उससे बात करने पर उसने दो और नंबर 9716961093, जो कि बरेली निवासी प्रेम का है तथा दूसरा नंबर 8273525918 दिया, जो कि पीड़िता का बताया है, जो कि दोनों नंबर बंद आ रहे हैं। सतेन्द्र नाम का व्यक्ति हमें भ्रमित कर रहा है, इसलिए हमारा सारा शक सतेन्द्र नाम के व्यक्ति पर जा रहा है। महोदय जी से प्रार्थना है कि इस व्यक्ति के खिलाफ पूरी जानकारी तथा कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरी पुत्री पीड़िता, जो कि नाबालिग है, उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मेरी नाबालिग पुत्री की तलाश करने की कृपा करें....''।

4. वादी मुकदमा की उक्त हस्तलिखित **<u>तहरीर प्रदर्श क–1</u>** के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में दिनांक 12.03.2015 को समय 15:20 पर, अभियोग मुकदमा अपराध संख्याः 102/2015, धारा–363 व 366 भारतीय दण्ड संहिता, राज्य बनाम अभियुक्त सतेन्द्र, पंजीकृत हुआ।

5. उक्त मामले में सम्पूर्ण विवेचना, बयान वादी मुकदमा, बयान पीड़िता, निरीक्षण घटनास्थल, नक्शा नजरी, बरामदगी पीड़िता, शैक्षणिक प्रमाणपत्र पीड़िता, चिकित्सकीय रिपोर्ट व पूरक चिकित्सकीय रिपोर्ट पीड़िता, बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा–164 दंड प्रक्रिया संहिता व बयानात गवाहान अन्तर्गत धारा–161 दंड प्रक्रिया संहिता से जुर्म अन्तर्गत धारा–323, 342, 363, 366 व 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 व 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम–2012, का बखूबी प्रमाणित होना पाये जाने पर, अभियुक्तगण– उस्मान व अनीस के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्याः 102/2015 में धारा–363, 366 व 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम–2012, के अन्तर्गत एवं अभियुक्ता श्रीमती मकबूलन के विरूद्ध उक्त मुकदमा अपराध संख्याः 102/2015 में धारा–342, 323 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम–2012, के अन्तर्गत संयुक्त आरोपपत्र, न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो

एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, मुरादाबाद के द्वारा दिनांक 23.06.2015 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामले को दर्ज रजिस्टर किया गया।

इस स्तर पर अभियुक्त उस्मान पुत्र असलम की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनाँकित 27.09.2022 के माध्यम से, प्रस्तुत सत्र विचारण की कार्यवाही को, उक्त मृतक अभियुक्त उस्मान पुत्र असलम के विरूद्ध उपशमित किया गया।

6. शेष अभियुक्तगण अनीस व श्रीमती मकबूलन न्यायालय में उपस्थित आये। धारा–207 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की साफ व पठनीय नकलें प्रदान की गयीं। अभियुक्तगण के अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष को आरोप के बिन्दु पर सुना गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट नंबर–3/अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 21.11.2022 को अभियुक्त अनीस के विरूद्ध आरोप, अन्तर्गत धारा–363, 366 व 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम–2012 तथा अभियुक्ता श्रीमती मकबूलन के विरूद्ध आरोप, अन्तर्गत धारा–342 व 323 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम–2012 विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोप को सुनकर व समझकर, आरोप से इन्कार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

7. अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन कथानक को साबित एवं प्रमाणित कराने के लिये, अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित अभियोजन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गयाः–

(1) **अभियोजन साक्षी संख्या 01**–––हरनाम सिंह (वादी मुकदमा/पीड़िता के पिता)
(2) **अभियोजन साक्षी संख्या 02**–––पीड़िता
(3) **अभियोजन साक्षी संख्या 03**–––सेवानिवृत हे0 काँ0 चन्द्रभान सिंह (चिक लेखक)
(4) **अभियोजन साक्षी संख्या 04**–––डा0 सुनीता पाण्डेय (चिकित्सिका)
(5) **अभियोजन साक्षी संख्या 05**–––गीता जायसवाल (प्रधानाचार्या)
(6) **अभियोजन साक्षी संख्या 06**–––उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह (प्रारम्भिक विवेचक)
(7) **अभियोजन साक्षी संख्या 07**–––सेवानिवृत निरीक्षक फतेह सिंह (पश्चातवर्ती विवेचक)

8. अभियोजन पक्ष द्वारा, पत्रावली पर उपलब्ध निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों/दस्तावेजों को, अभियोजन साक्षियों से साबित कराकर, उन पर प्रदर्श का अंकन निम्नवत कराया गया है –

(1) **प्रदर्श क–1**–––– टाइपशुदा मूल तहरीर
(2) **प्रदर्श क–2**–––– चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट
(3) **प्रदर्श क–3**–––– जी.डी. कायमी मुकदमा
(4) **प्रदर्श क–4**–––– बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा–164 दंड प्रक्रिया संहिता
(5) **प्रदर्श क–5**–––– पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट
(6) **प्रदर्श क–6**–––– पीड़िता की पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट
(7) **प्रदर्श क–7**–––– एस.आर. रजिस्टर की छायाप्रति
(8) **प्रदर्श क–8**–––– टी.सी. की प्रमाणित छायाप्रति
(9) **प्रदर्श क–9**–––– पीड़िता के प्रवेश फार्म की प्रमाणित छायाप्रति
(10) **प्रदर्श क–10**––– घटनास्थल का नक्शा नजरी
(11) **प्रदर्श क–11**––– आरोपपत्र

इस स्तर पर अभियुक्ता मकबूलन पत्नी स्व0 नवी अहमद की भी मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनाँकित 16.07.2024 के माध्यम से, प्रस्तुत सत्र विचारण की कार्यवाही को, उक्त मृतक अभियुक्ता मकबूलन के विरूद्ध उपशमित किया गया।

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त अनीस का कथन अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में लिपिबद्ध किया गया। अभियुक्त ने अपने कथन अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में, अभियोजन कथानक को गलत व झूठा एवं अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को, वास्तविक अभियुक्त सतेन्द्र को बचाने के आशय से, देना बताते हुए, यह कथन किया गया है कि प्रार्थी अपनी मां का इलाज कराने मुरादाबाद से ठाकुरद्वारा आया था, वहां पर पुलिस वालों ने मेरा नाम, पता पूछा और थाने ले गये, प्रार्थी निर्दोष है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अभिकथन करने के बावजूद, स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया गया।

10. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा बहस करते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अनीस द्वारा, घटना के दिनांक अर्थात दिनांक 23.02.2015 को समय 06 बजे सुबह, स्थानः जनता इण्टर कालेज का गेट, बहद ग्राम गोपीवाला कालेवाला, अंतर्गत थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद से, वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री अर्थात पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग अथवा विवाह करने के लिए उसे विवश करने के आशय से, बहला–फुसलाकर, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण करने के पश्चात, उसको अपने घर शेरपुर, जनपद पीलीभीत में ले जाकर, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए, उसकी इच्छा व सम्मति के विरूद्ध जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया गया। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुये, कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये।

11. जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। पीड़िता व अभियोजन साक्षीगण ने, वास्तविक अभियुक्त सतेन्द्र को बचाने के लिए, अभियुक्त के खिलाफ झूठी गवाही दी है तथा विवेचक ने गलत विवेचना करते हुए, गलत व फर्जी आरोपपत्र प्रस्तुत किया है। रंजिशन गलत प्रपत्र तैयार कराए गए हैं। अभियुक्त निर्दोष है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त करने की प्रार्थना की गयी।

12. मैंने राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया।

निष्कर्ष

13. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त अनीस के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अन्तर्गत धारा–363, 366 व 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम–2012, को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

14. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण किये जाने से पूर्व, धारा–363, 366 व 376 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3 व 4 के परिप्रेक्ष्य में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में प्राविधानित किये गये उपबंधों का संक्षेप में उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जो कि निम्नवत हैः–

यहां पर यह तथ्य है उल्लेखनीय है कि **विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण** को **भारतीय दंड संहिता की धारा–361** में परिभाषित करते हुए, उसके लिए **दंड** का प्रावधान **धारा–363** में किया गया है।

धारा–361 भारतीय दंड संहिता के अनुसार, जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को या यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से, ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

जबकि **धारा–363 भारतीय दंड संहिता** के अनुसार, जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 07 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा–366 के संदर्भ में **भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत यह उपबंध प्रावधानित किया गया है कि, जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगाः और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए, इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरूपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।

इसी प्रकार **बलात्संग** को **भारतीय दंड संहिता की धारा–375** में परिभाषित करते हुए, उक्त के परिप्रेक्ष्य में **दंड का प्रावधान** उपरोक्त संहिता की **धारा–376** में किया गया है। **धारा–375 भारतीय दंड संहिता** में यह स्पष्टतः प्राविधानित किया गया है कि, यदि कोई पुरूषः

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है, या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन किया जा सके, उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,

तो उसके बारे में यह कहा जायेगा कि उसने बलात्संग किया है जो निम्नलिखित सात भॉति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता हैः

पहलाः उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

दूसराः उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसराः उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय मे डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथाः उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवाः उस स्त्री की सम्मति से, जब कि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठाः उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है।

सातवांः जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

जबकि **धारा–376 भारतीय दंड संहिता** की **उपधारा (1)** में यह दंडात्मक प्रावधान किया गया है कि, जो कोई उपधारा (2) द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 07 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

इसी प्रकार **प्रवेशन लैंगिक हमला** को **धारा–3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** में परिभाषित करते हुए, उक्त के परिप्रेक्ष्य में **दंड का प्रावधान** उक्त अधिनियम की **धारा–4** में किया गया है।

धारा–3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह–

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

जबकि **<u>धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012</u>** में यह दंडात्मक प्रावधान किया गया है कि-

(1) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा,

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए, ऐसे पीड़ित को किया जायेगा।

<u>लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012</u> की **<u>धारा 2 (घ)</u>** में बालक को परिभाषित करते हुए, यह उपबन्धित किया गया है कि *<u>बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।</u>*

15. इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधानों के आलोक में, प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष इस तथ्य का सम्यक रूप से सुनिश्चयन होना है कि, क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के माध्यम से, घटना के दिनांक अर्थात दिनांक 23.02.2015 को समय 06 बजे सुबह, स्थानः जनता इण्टर कालेज का गेट, बहद ग्राम गोपीवाला कालेवाला, अंतर्गत थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में, अभियुक्त अनीस द्वारा, वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री अर्थात पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग अथवा विवाह करने के लिए उसे विवश करने के आशय से, बहला–फुसलाकर, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण करने के पश्चात, उसको अपने घर शेरपुर, जनपद पीलीभीत में ले जाकर, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए, उसकी इच्छा व सम्मति के विरूद्ध जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार कारित किए जाने संबंधी तथ्यों/आरोपों को, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया अथवा नहीं?

16. <u>प्रथम सूचना रिपोर्ट</u>–

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना दिनांक 23.02.2015 की सुबह 06 बजे की अभिकथित की गयी है, जबकि उक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अत्यंत विलंब से, विधिक राय व मश्वरा करके व झूठी कहानी बनाकर, दिनांक 12.03.2015 को समय लगभग 15.20 बजे दर्ज करायी गयी है, जबकि थाने की दूरी घटनास्थल से मात्र 07 कि.मी. होना ही बताया गया है तथा उपरोक्त विलंब का कोई भी युक्तियुक्त एवं उचित स्पष्टीकरण भी अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक झूठा एवं अविश्वसनीय प्रतीत होता है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए, अभियोजन पक्ष की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में **<u>वादी मुकदमा हरनाम सिंह</u>**, निवासीः लक्ष्मीपुर पट्टी मधुवन नगर, काशीपुर, उधम सिंह नगर, की **<u>टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क–1</u>** में उल्लिखित कथानक के अनुसार,“.....मेरी पुत्री पीड़िता, जिसकी जन्मतिथि 20 जुलाई, 2000 है, जो दिनांक 23.02.2015 दिन सोमवार को प्रातः 06 बजे घर से कक्षा 10 की परीक्षा देने जनता इण्टर कालेज, गोपीवाला, कालेवाला, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला

मुरादाबाद अपने भाई यशपाल सिंह के साथ गयी थी। उसने उसे प्रातः 7 बजे स्कूल गेट पर छोड़ दिया था। उसका पेपर 10.45 पर समाप्त हो जाता है। हमने उसका 2 बजे घर पर इंतजार किया, जब वह घर नहीं पहुंची तब हम कालेज जाकर प्रधानाचार्य जी से मिले, तब हमें ज्ञात हुआ कि वह पेपर में परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुई। हमने सभी रिश्तेदारों एवं जान पहचान वालों के यहां पूछताछ कर ली है, परंतु उसका कहीं पता नहीं चल सका और हमारे घर पर उसका एक मोबाइल चार्जर प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे फोन का नहीं है तथा एक मोबाइल नंबर लिखा मिला 9058662036, जो कि सतेन्द्र गुप्ता का ज्ञात हुआ है। उससे बात करने पर उसने दो और नंबर 9716961093, जो कि बरेली निवासी प्रेम का है तथा दूसरा नंबर 8273525918 दिया, जो कि पीड़िता का बताया है, जो कि दोनों नंबर बंद आ रहे हैं। सतेन्द्र नाम का व्यक्ति हमें भ्रमित कर रहा है, इसलिए हमारा सारा शक सतेन्द्र नाम के व्यक्ति पर जा रहा है। महोदय जी से प्रार्थना है कि इस व्यक्ति के खिलाफ पूरी जानकारी तथा कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरी पुत्री पीड़िता, जो कि नाबालिग है, उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मेरी नाबालिग पुत्री की तलाश करने की कृपा करें......''। वादी मुकदमा हरनाम सिंह की उपरोक्त **तहरीर प्रदर्श क–1** के आधार पर संबंधित थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में दिनांक 12.03.2015 को प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित मुकदमा अपराध संख्याः102/2015, अंतर्गत धारा–363 व 366 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त सतेन्द्र के विरूद्ध समय 15.20 पर पंजीकृत किया गया, जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2** एवं **नकल रपट जी.डी. कायमी मुकदमा प्रदर्श क–3** से स्पष्ट है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध वादी मुकदमा की **लिखित तहरीर प्रदर्श क–1** के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 23.02.2015 को समय सुबह लगभग 06 बजे, अभियुक्त पक्ष द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 15 साल अर्थात पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के पश्चात, वादी मुकदमा द्वारा उसके खोजबीन में लगने के पश्चात व काफी खोजबीन करने के उपरांत, अभियुक्त पक्ष द्वारा ही पीड़िता को भगा ले जाने संबंधी तथ्य की जानकारी होने पर, उक्त घटना के संबंध में वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद पर घटना के बावत, लिखित तहरीर दिनांक 12.03.2015 को देते हुए, मुकदमा पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी, जिसके आधार पर संबंधित पुलिस द्वारा दिनांक 12.03.2015 को ही समय 15.20 बजे अभियुक्त सतेन्द्र के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गयी।

17. इस संबंध में न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि यह सामान्य प्रज्ञा एवं सहज प्रवृति की बात है कि जिस व्यक्ति की लगभग 15 वर्ष की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त पक्ष द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया हो और उस नाबालिग लड़की पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करते हुए, उसके साथ बलात्कार कारित किया गया हो तो वह व्यक्ति अपने सामाजिक लोकलाज व अपनी पुत्री की इज्ज़त को दृष्टिगत रखते हुए, सर्वप्रथम अपनी लड़की को अपने प्रयास से, आस–पड़ोस एवं रिश्तेदारों के यहां ढूंढने की कोशिश करता है और जब चारों तरफ ढूंढकर भी अपनी लड़की को खोज नहीं पाता है अथवा उसकी लड़की मिल नहीं पाती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का कुछ समय तक मानसिक रूप से विचलित एवं व्यथित होना स्वभाविक है एवं उक्त मानसिक विचलन एवं व्यथा से उभरने के पश्चात ही, उस व्यक्ति द्वारा संबंधित पीड़िता अर्थात नाबालिग लड़की के प्रकरण के संबंध में, संबंधित थाना पुलिस के समक्ष जाकर, प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्थाः (1) State of U.P. Vs. Manoj Kumar**

Pandey, AIR 2009 SC 711 (Three-Judges Bench) एवं **(2) Santosh Moolya Vs. State of Karnataka, (2010) 5 SCC 445** बेहद ही प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया गया है कि,"......*अभियोजन को अपने प्रत्येक विलम्ब का यथोचित कारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करना होता है, इस सामान्य नियम का अपवाद, धारा 376 भा०दं०सं० के प्रकरण की एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने के मामले होते हैं.*...."। ऐसी स्थिति में, वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त पक्ष द्वारा बहला फुसलाकर, उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने हेतु उसे विवश करने के आशय से, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यवहरण कर, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए, उसकी इच्छा व सम्मति के विरूद्ध जबरन उसके साथ बलात्संग कारित करने तथा वादी मुकदमा द्वारा पीड़िता के संदर्भ में अपने सभी रिश्तेदारों एवं जान पहचान वालों से पूछताछ करने में व अभियुक्त पक्ष द्वारा ही पीड़िता को भगा ले जाने संबंधी तथ्य की जानकारी होने में व्यतीत हुए समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट का कुछ विलंब से दर्ज कराया जाना, मानवीय स्वभाव एवं प्रवृत्ति के अनुकूल प्रतीत होता है एवं इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में कुछ विलंब का होना स्वभाविक भी है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क का कोई भी लाभ अभियुक्त को अनुदत्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने में हुआ विलंब, मामले के तथ्यों व परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए स्वभाविक है।

18. जहां तक प्रश्नगत प्रकरण की पीड़िता की आयु का प्रश्न है तो मामले की **तहरीरी प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1** एवं **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2** में **पीड़िता** को 15 वर्ष की होना बताया गया है तथा इस संबंध में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने अभियोजन कथानक को साबित एवं प्रमाणित कराये जाने हेतु **बतौर पी0 डब्लू0–5** परीक्षित करायी गयी **साक्षी गीता जायसवाल**, प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड के द्वारा, पीड़िता की आयु के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने सशपथ साक्ष्य के माध्यम से, पीड़िता के विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति को **प्रदर्श क–7** के रूप में, पीड़िता के पूर्व विद्यालय की टी.सी. की प्रमाणित छायाप्रति को **प्रदर्श क–8** के रूप में एवं पीड़िता के प्रवेश फार्म की प्रमाणित छायाप्रति को **प्रदर्श–क–9** के रूप में साबित एवं प्रमाणित किया गया है तथा इन **सभी प्रपत्रों** यथा– एस.आर. रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श क–7**, पूर्व विद्यालय की टी.सी. की प्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श क–8** एवं पीड़िता के प्रवेश फार्म की प्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श क–9** में पीड़िता की जन्मतिथि स्पष्ट रूप से 09.09.1998 अंकित/दर्शित की गयी है, अर्थात उपरोक्त साबितशुदा प्रपत्रों–**प्रदर्श क–7**, **प्रदर्श क–8** एवं **प्रदर्श क–9** के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि 09.09.1998 साबित एवं सिद्ध होती हुयी पायी जा रही है। यहां पर यह तथ्य भी उल्लिखित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पीड़िता की उम्र के निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में प्राविधानित किये गये अद्यतन विधिक प्रावधानों के अनुसार, पीड़िता के उपरोक्त शैक्षणिक प्रमाणपत्र में अंकित/दर्शित उसकी जन्मतिथि ही प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं विचारणीय होती है। ऐसी दशा में पीड़िता के शैक्षणिक प्रपत्र/शैक्षणिक प्रमाणपत्रों (एस.आर. रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श क–7**, पूर्व विद्यालय की टी.सी. की प्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श क–8** एवं पीड़िता के प्रवेश फार्म की प्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श क–9**) में दर्ज उसकी **जन्मतिथि 09.09.1998** के आधार पर, **घटना के दिनांक 23.02.2015** को पीड़िता, स्पष्टतः अवयस्क/नाबालिग होना पायी जा रही है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण है

कि पीड़िता की उपरोक्त जन्मतिथि 09.09.1998 के खण्डनस्वरूप, कोई भी खण्डनकारी तर्क अथवा सुसंगत प्रपत्र, बचाव पक्ष की तरफ से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया है।

19. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के दिनांक 23.02.2015 को समय 06 बजे सुबह, स्थानः जनता इण्टर कालेज का गेट, बहद ग्राम गोपीवाला कालेवाला, अंतर्गत थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद से, अभियुक्त अनीस द्वारा वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष अर्थात पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने के हेतु उसे विवश किये जाने के आशय से, बहला–फुसलाकर, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण करने के पश्चात, उसको अपने घर शेरपुर, जनपद पीलीभीत में ले जाकर, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए, उसकी इच्छा व सम्मति के विरूद्ध जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार कारित किया गया।

20. अभियोजन पक्ष की तरफ से, अपने अभियोजन कथानक को साबित एवं प्रमाणित कराए जाने हेतु, तथ्य के **साक्षी हरनाम सिंह,** जो कि प्रस्तुत प्रकरण का वादी मुकदमा एवं पीड़िता का पिता भी है, को **बतौर पी0 डब्लू0–1** परीक्षित कराया गया है। **साक्षी पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है कि,"......इस मुकदमे की पीड़िता मेरी सगी बेटी है। दिनांक 23.02.2015 की बात है, मेरी लड़की पीड़िता, जिसकी जन्मतिथि 20.07.2000 है, उस दिन घर से सुबह 6.00 बजे हाईस्कूल की परीक्षा देने जनता इण्टर कॉलेज, गोपीवाला, कालेवाला, तहसील ठाकुरद्वारा में अपने भाई यशपाल सिंह के साथ गयी थी। यशपाल ने उसे 7.00 बजे स्कूल गेट पर छोड़ दिया था। उसका पेपर पौने ग्यारह बजे समाप्त हो जाता था। हमने उसका दो बजे तक इंतजार किया, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। तब हमने कालेज जाकर प्रिंसिपल से मालूम किया तो प्रधानाचार्य ने हमें बताया कि पीड़िता परीक्षा में उपस्थित नहीं हुयी। उसके बाद हमने अपनी सभी रिश्तेदारी में तलाश किया और पूछताछ की, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। तब हमारे घर में एक मेबाइल चार्जर मिला, जो हमारा नहीं था, उस पर एक मोबाइल नम्बर लिखा था। उस नम्बर पर बात करने पर वह नम्बर किसी सतेन्द्र गुप्ता का बताया तो सतेन्द्र गुप्ता ने दो नम्बर हमें और दिये तो एक नम्बर बरेली निवासी प्रेम का बताया और एक नम्बर मेरी लड़की पीड़िता का बताया। यह तीनों नम्बर मैंने अपनी तहरीर में लिखाकर, थाने पर दिये थे। उसके बाद मैंने एक तहरीर टाइप वाले को बोल–बोलकर टाइप करायी थी, जो मैंने बोला था, वही उसने लिखा था और मुझे उसने पढ़कर सुनाया था। मैंने उस पर अपने हस्ताक्षर करके थाने पर दी थी और मुकदमा कायम कराया था। पत्रावली पर कागज संख्या–4 क/2 तहरीर प्रार्थनापत्र को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थनापत्र है, जो मैंने थाने पर दिया था। इस पर मेरे दस्तख्त हैं, प्रमाणित करता हूं। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मेरी बेटी पीड़िता को पुलिस ने चार–पांच दिन बाद बरामद किया था। लड़की ने मुझे सारी बात बतायी थी। उस्मान व अनीस उसे बहला फुसलाकर मकबूलन के घर गये थे और उसके साथ बंधक बनाकर उस्मान व अनीस ने बारी–बारी से बलात्कार किया था तथा मकबूलन ने मेरी बेटी पीड़िता के साथ मारपीट की थी और उस्मान व अनीस का अपराध कारित करने में सहयोग किया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेरी बेटी पीड़िता की जन्मतिथि 09.09.1998 है। घटना के समय वह नाबालिग थी.....''। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये **साक्षी पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह,** *जो कि पीड़िता का पिता एवं वादी मुकदमा भी है*, द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने उपरोक्त मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में, घटना को

दिनांक 23.02.2015 के सुबह 6.00 बजे की होना एवं उक्त घटना के दिनांक को पीड़िता का नाबालिग होना स्वीकार करते हुए, उक्त घटना के दिनांक व समय पर पीड़िता के हाईस्कूल की परीक्षा देने हेतु जनता इण्टर कालेज, गोपीवाला कालेवाला, ठाकुरद्वारा जाने पर, उक्त परीक्षा दिये जाने से पूर्व ही पीड़िता को उक्त विद्यालय के गेट के पास से ही अभियुक्त पक्ष द्वारा बहला फुसलाकर व्यपहरित किये जाने, पीड़िता के घर न पहुंचने पर उसकी तलाश व पूछताछ के दौरान, घर में पड़े मोबाइल चार्जर पर दो मोबाइल नंबर अंकित होना पाये जाने, उक्त मोबाइल नंबरों में से एक मोबाइल नंबर सतेन्द्र गुप्ता का तथा एक मोबाइल नंबर बरेली निवासी प्रेम का व एक मोबाइल नंबर पीड़िता का होना ज्ञात होने के पश्चात उक्त मोबाइल नंबरों के साथ तहरीर थाने में प्रस्तुत किये जाने, चार–पांच दिन बाद पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद किये जाने के पश्चात पीड़िता द्वारा स्वयं, अभियुक्त उस्मान व अनीस द्वारा उसे बहला फुसलाकर मकबूलन के घर ले जाने, उसे बंधक बनाकर अभियुक्त उस्मान व अनीस द्वारा बारी–बारी से उसके साथ बलात्कार किये जाने व अभियुक्ता मकबूलन द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट किये जाने संबंधी तथ्यों को साक्षी पी0 डब्लू0–1 को बताये जाने एवं पीड़िता की जन्मतिथि 09.09.1998 के आधार पर पीड़िता के नाबालिग होने संबंधी तथ्यों को सशपथ स्वीकार करते हुए, घटना के पश्चात संबंधित थाना ठाकुरद्वारा पर प्रेषित की गयी **तहरीर** को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित एवं प्रमाणित करते हुए, अभियोजन कथानक का पूर्णरूपेण समर्थन एवं प्रमाणन किया गया है।

21. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित **साक्षी पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह** अर्थात **वादी मुकदमा** से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसमें **साक्षी पी0 डब्लू0–1** द्वारा यह सशपथ अभिकथित किया गया है कि,"...............मैंने घटना के दो तीन दिन बाद थाने में तहरीर दी थी। मैंने ठाकुरद्वारा में तहरीर लिखवायी थी। मुझे ध्यान नहीं कि तहरीर किससे लिखवायी। पीड़िता चार–पांच दिन बाद बरामद हुयी थी, तारीख मुझे ध्यान नहीं है..........पुलिस ने जब पीड़िता को बरामद किया था तब मुझे ठाकुरद्वारा थाने बुलाया था.......मुझे किस दिनांक को बुलाया था, ध्यान नहीं है। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी.....मैं घटनास्थल पर पुलिस को लेकर नहीं गया था। मैंने घटना होते नहीं देखी। मुझे मेरी बेटी ने उसके साथ हुयी घटना के बारे में बताया था............मैंने थाने पर जो तहरीर दी थी, उसमें किसी अभियुक्त का नाम नहीं लिखवाया था, क्योंकि उस समय तक मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी को कौन ले गया है................पीड़िता का एडमिशन कराने मैं नहीं गया था, मेरी पत्नी गयी थी, उन्होंने पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में स्कूल में प्रमाणपत्र दिया होगा। मैंने अपनी बेटी का जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनवाया है, क्योंकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी..................यह कहना गलत है कि मेरी बेटी/पीड़िता अनीस व मकबूलन के घर से बरामद न हुयी हो.....यह कहना गलत है कि मैं जो बयान दे रहा हूं, वह कानूनी मश्वरे से दे रहा हूं....''।

22. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह**, जो कि स्वयं वादी मुकदमा एवं पीड़िता के पिता भी हैं, के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपनी सशपथ प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में भी, अपनी मुख्य परीक्षा में कथित किये गये सशपथ अभिकथनों (जिसके माध्यम से अभियोजन कथानक का समर्थन व प्रमाणन किया गया है) के विपरीत अथवा प्रतिकूल कोई भी सारवान/तात्विक विरोधाभासी अभिकथन न करते हुए, अपितु अपनी प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में भी, घटना के संदर्भ में तहरीर को थाना ठाकुरद्वारा में दिये जाने, पीड़िता के चार–पांच दिन बाद पुलिस द्वारा बरामद किये जाने पर, पुलिस द्वारा साक्षी को ठाकुरद्वारा थाने में बुलाते हुए पूछताछ

किये जाने, बरामद होने के बाद पीड़िता द्वारा स्वयं अपने साथ घटित घटना के बारे में साक्षी को बताये जाने, अभियुक्त उस्मान का घटना के पहले से ही पहचाने जाने, तहरीर दिये जाने के समय तक किसी अभियुक्त के बारे में पता न होने के कारण तहरीर में किसी अभियुक्त का नाम न लिखाये जाने व पीड़िता का एडमिशन काशीपुर में एक विद्यालय में कराये जाने संबंधी तथ्यों को स्पष्ट रूप से पुष्ट करने के साथ ही साथ, पीड़िता के अनीस व मकबूलन के घर से बरामद न होने एवं न्यायालय के समक्ष कानूनी मशवरे से साक्ष्य दिये जाने संबंधी बचाव पक्ष के अधिवक्ता के सुझावात्मक अभिकथनों को स्पष्टतः इंकार करते हुए, अपनी प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य से भी किसी न किसी रूप में, अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य एवं अभियोजन कथानक को ही पुनः बल एवं समर्थन प्रदान किया गया है तथा अपनी उपरोक्त प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में ऐसा कोई भी सारवान एवं तात्विक विरोधाभासी कथन अभिकथित नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक में वर्णित तथ्य अथवा साक्षी के स्वयं के मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य पर, किसी भी रूप में अथवा किसी भी प्रकार से कोई संदेह अथवा अविश्वास किये जाने का, कोई युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत आधार, न्यायालय के समक्ष दृष्टिगोचर होता हुआ पाया जा सके। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये उपरोक्त **साक्षी पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह**, जो कि स्वयं वादी मुकदमा एवं पीड़िता का पिता भी है, के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये उपरोक्त मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य के सम्यक एवं समग्र विश्लेषण से, अभियोजन कथानक में वर्णित घटना का दिनांक 23.02.2015 की सुबह 6.00 बजे घटित होना एवं उक्त घटना के दिनांक को पीड़िता का नाबालिग होना पुष्ट एवं प्रमाणित होते हुए, अभियोजन कथानक में वर्णित घटना अर्थात दिनांक 23.02.2015 को समय लगभग 6.00 बजे सुबह, स्थानः बहद जनता इण्टर कालेज का गेट, गोपीवाला कालेवाला, अंतर्गत थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद से, अभियुक्त अनीस द्वारा, वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री अर्थात पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने के लिए पीड़िता को विवश किये जाने के आशय से, बहला फुसलाकर, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण कर, उक्त नाबालिग पीडिता पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करते हुए, उसकी इच्छा एवं सम्मति के विरूद्ध जबरन उससे बलात्कार कारित करने संबंधी आरोप/तथ्य, स्पष्टतः प्रमाणित एवं पुष्ट होते हुए पाये जा रहे हैं।

23. अभियोजन पक्ष की तरफ से, अपने अभियोजन कथानक को साबित एवं प्रमाणित कराए जाने हेतु, तथ्य की महत्वपूर्ण **साक्षी स्वयं पीड़िता,** को **बतौर पी0 डब्लू0–2** परीक्षित कराया गया है। **साक्षी पी0 डब्लू0–2 अर्थात पीड़िता** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है कि,"......घटना के समय मैं कक्षा–10 में पढ़ रही थी। मेरी जन्मतिथि 09.09.1998 है। घटना के समय मैं शिखा पब्लिक स्कूल में पढ़ रही थी। मेरा कक्षा–10 का सेंटर जनता इण्टर कालेज, गोपीवाला, कालेवाला में था। मेरे मोबाइल नम्बर पर एक मिस कॉल आयी थी, जिस पर मेरी मिस कॉल करने वाले से बात होने लगी थी। मिस कॉल करने वाले ने अपना नाम उस्मान बताया था और अपने आप को काशीपुर का रहने वाला बताया था। उसी ने मेरा परिचय अनीस अहमद से कराया था। अनीस अहमद ने अपना नाम प्रेम बताया था। अनीस अहमद ग्राम शेरपुर, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत का रहने वाला था। इन लोगों से मेरी प्रेम भरी बातें होती थीं। दिनांक 22.02.2015 को उस्मान से मेरी फोन पर बात हुई थी। उसने पता निकाला था कि मेरी हाईस्कूल की परीक्षा है। दिनांक 23.02.2015 को मेरी सुबह की पाली में परीक्षा थी। मेरे भाई ने स्कूल से पहले मुझे छोड़ दिया था। वहां पर उस्मान मिल गया था। पेपर शुरू होने से

पहले ही उस्मान मुझे बहला–फुसलाकर काशीपुर रेलवे स्टेशन पर ले गया था और पूरा दिन मुझे स्टेशन पर घुमाता रहा। वहीं पर हाजिर अदालत मुल्जिम अनीस आ गया और उस्मान ने मुझे अनीस के हवाले कर दिया। मैंने कहा कि मुझे घर वालों से डर लग रहा है, मेरा पेपर छूट गया है, तब इन लोगों ने कहा कि तू डर मत, हम तुझे घर छोड़कर आयेंगे। उसके बाद उस्मान ने मुझे काले रंग की कोल्ड ड्रिंक पिलायी। मुझे बेहोशी होने लगी थी। तब अनीस मुझे ट्रेन में बैठाकर शेरपुर, पीलीभीत ले गया था। वहां पहुंचकर मुझे जगह का पता लगा था। अनीस मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें घुमा फिराकर छोड़ आउंगा, इसलिए मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। **उसके बाद अनीस मुझे वहीं पर किसी के घर में ले गया और वहां पर अनीस ने मेरे साथ, मेरी बिना मर्जी के बलात्कार किया**। **फिर अनीस मुझे अपने घर ले गया। अनीस के घर अनीस की मां मकबूलन थी। उसने मुझे मारा पीटा तथा मुझे 25 दिन तक बंधक बनाकर एक कमरे के अंदर रखा और अभियुक्त ने मेरे साथ लगातार हर दिन जबरदस्ती मेरी बिना मर्जी के बलात्कार किया**। 25 दिन बाद पुलिस ने मुझे अनीस के घर से बरामद किया था। महिला पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मैं कक्षा–5 तक शिखा पब्लिक स्कूल में अपने घर के पास पढ़ी हूं। मेरा मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ था। मेरा मेडिकल भी हुआ था। एक सील बंद लिफाफा न्यायालय की अनुमति से खोला गया, जिस पर इस मुकदमे की इबारत लिखी है, उसमें से निकले बयान अन्तर्गत धारा–164 सी.आर.पी.सी. को पीड़िता को दिखाया गया तो पीड़िता ने कहा कि यह वही बयान है, जो मैंने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। इस पर लगा फोटो मेरा है तथा इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रमाणित करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। मेरा मेडिकल हुआ था। मैंने वह जगह दरोगा जी को दिखायी थी, जहां से मुल्जिमान मुझे लेकर गये थे.......”। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित करायी गयी **साक्षी पी0 डब्लू0–2 अर्थात पीड़िता** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में, घटना के समय स्वयं के कक्षा 10 में शिक्षारत होने तथा अपनी जन्मतिथि 09.09.1998 होने, अभियुक्त उस्मान द्वारा पीड़िता से मोबाइल पर बातचीत करते हुए, अभियुक्त अनीस (जिसने अपना नाम प्रेम बताया था) से पीड़िता का परिचय कराने, दिनांक 22.02.2015 को अभियुक्त उस्मान द्वारा पीड़िता से फोन पर बातचीत करते हुए, पीड़िता की दिनांक 23.02.2015 की होने वाली परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करने, पीड़िता के दिनांक 23.02.2015 अर्थात घटना वाले दिन परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने से पहले ही अभियुक्त उस्मान द्वारा बहला फुसलाकर पीड़िता को काशीपुर रेलवे स्टेशन ले जाने और वहां पर पीड़िता को अभियुक्त अनीस के हवाले करने तथा अभियुक्त उस्मान द्वारा पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए बेहोशी की हालत में लाने एवं तत्पश्चात अभियुक्त अनीस द्वारा पीड़िता को ट्रेन में बैठाकर अपने गांव शेरपुर, जिला पीलीभीत ले जाने एवं वहां पर अभियुक्त अनीस द्वारा पीड़िता को किसी घर में जबरदस्ती रखते हुए, पीड़िता की इच्छा व सम्मति के बिना जबरदस्ती बलात्कार किये जाने, शेरपुर में ही अभियुक्ता मकबूलन, जो कि अभियुक्त अनीस की मां थी, द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट करने तथा अभियुक्त द्वारा पीड़िता को एक कमरे में 25 दिन तक बंधक बनाकर, उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बलात्कार किये जाने, 25 दिन बाद पुलिस द्वारा पीड़िता को अनीस के घर से बरामद करते हुए, पीड़िता का बयान जरिये महिला पुलिस अंकित कराये जाने संबंधी तथ्यों को पुष्ट एवं प्रमाणित करते हुए, साक्षी/पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये अपने धारा 164 दं0 प्र0 सं0 के बयान को न्यायालय के समक्ष **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित एवं सिद्ध करते हुए, स्पष्ट रूप से अभियोजन कथानक का समर्थन एवं प्रमाणन किया गया है।

24. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित करायी गयी साक्षी **पी0 डब्लू0-2 अर्थात पीड़िता** से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसमें **साक्षी पी0 डब्लू0-2** द्वारा यह सशपथ अभिकथित किया गया है कि,".........मैं उस दिन स्कूल नहीं पहुंच पायी थी। जब मैं पेपर देने पहुंची ही नहीं तो मुझे नहीं पता कि वहां कितने विद्यार्थी मौजूद थे। अपहरण की घटना स्कूल की नहीं है। मेरे भाई ने मुझे ठाकुरद्वारे से थोड़ा पहले छोड़ दिया था। घटना के समय मुझे सही व गलत का ज्ञान नहीं था, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी.............मुझे होश नहीं था कि हम पीलीभीत कब पहुंचे। जब मैं पीलीभीत पहुंच चुकी थी तब उसके थोड़ी देर बाद थोड़ा-थोड़ा होश आने लगा था.........पुलिस ने मुझे अनीस के घर से रात के करीब 10.00-11.00 बजे बरामद किया था। मेरी बरामदगी के बाद पुलिस ने ठाकुरद्वारा में मेरी लिखत पढ़त की थी.......... मेरे पिता जी थाने पहुंचे थे। पुलिस ने जब मेडिकल आदि हो गया तब मुझे मेरे मां बाप को सौंप दिया था। मैं घटनास्थल दोबारा नहीं गयी, मतलब पुलिस को लेकर नहीं गयी थी। मेरे बयान पुलिस ने लिए थे.........मैंने पुलिस को सारी बातें बता दी थीं। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के साथ अपनी मर्जी से गयी हूं। यह कहना भी गलत है कि मैं झूठा मुकदमा लिखाया हो.........''।

25. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित करायी गयी साक्षी **पी0 डब्लू0-2 अर्थात पीड़िता** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त साक्ष्य में भी, अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ अभिकथनों (जिसके माध्यम से अभियोजन कथानक में वर्णित तथ्य अर्थात घटना के दिनांक व समय पर अभियुक्त अनीस द्वारा बहला फुसलाकर, नाबालिग पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता में से व्यपहरित करते हुए, उसके साथ जबरन बलात्कार कारित किये जाने संबंधी तथ्यों को पुष्ट एवं प्रमाणित करते हुए, अपने धारा 164 दं0 प्र0 सं0 के बयान को न्यायालय के समक्ष साबित एवं सिद्ध किया गया है) के प्रतिकूल अथवा विपरीत कोई भी सारवान विरोधाभासी कथन न करते हुए, अपितु अपने उपरोक्त प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य में भी, प्रस्तुत प्रकरण की अपहरण की घटना को अपने स्कूल का न होने के बजाय उससे थोड़ी दूर पहले की होने, घटना के समय अपनी कम उम्र होने के कारण सही व गलत का ज्ञान न होने, पीलीभीत पहुंचने के बाद स्वयं को थोड़ा-थोड़ा होश आने, पुलिस द्वारा स्वयं को अर्थात पीड़िता को अभियुक्त अनीस के घर से ही रात में 10.00 से 11.00 बजे के बीच बरामद किये जाने के पश्चात, बरामदगी के बारे में ठाकुरद्वारा में लिखत पढ़त किये जाने, पुलिस द्वारा पीड़िता की बरामदगी के पश्चात उसका मेडिकल आदि कराने के उपरांत उसके माँ बाप को सौंप दिये जाने, पीड़िता द्वारा पुलिस को घटना के बारे में सारी बातें बताये जाने, पीड़िता द्वारा स्वयं की प्राथमिक शिक्षा शिखर पब्लिक स्कूल काशीपुर में होने संबंधी तथ्यों को ही सशपथ स्वीकार करते हुए, किसी न किसी रूप में अभियोजन कथानक को ही पुनः बल एवं समर्थन प्रदान करने के साथ ही साथ, पीड़िता द्वारा अपना नाम बदलकर जैनब कर लिए जाने, बरेली में अपना निकाह किये जाने एवं अभियुक्त के साथ अपनी मर्जी से जाते हुए, अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखवाये जाने संबंधी बचाव के सुझावात्मक अभिकथनों को स्पष्टतः इंकार किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित करायी गयी **साक्षी पी0 डब्लू0-2** अर्थात पीड़िता के न्यायालय के समक्ष दिये गये उपरोक्त प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य से भी, घटना के दिनांक व समय पर अभियुक्त अनीस द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण करते हुए, उसे अपने गांव जनपद पीलीभीत ले जाने, पुलिस द्वारा पीड़िता को उक्त अभियुक्त अनीस के ही घर से बरामद किये जाने एवं बरामदगी के पश्चात पीड़िता का मेडिकल आदि कराने के पश्चात पीड़िता को उसके माँ बाप को सुपुर्द

किये जाने संबंधी तथ्यों के साथ, अभियेाजन कथानक में वर्णित तथ्य ही किसी न किसी रूप में पुष्ट एवं प्रमाणित होते हुए पाये जा रहे हैं। साथ ही साथ अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित हुयी **साक्षी पी0 डब्लू0–2** अर्थात पीड़िता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में ऐसा कोई भी सारवान विरोधाभासी कथन अभिकथित नहीं किया गया है जिससे साक्षी के न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ साक्ष्य अथवा अभियोजन कथानक पर किसी भी प्रकार से कोई संदेह अथवा अविश्वास किये जाने का, कोई युक्तियुक्त व न्यायसंगत आधार न्यायालय के समक्ष दृष्टिगोचर होता हुआ पाया जा सके।

26. इस संबंध में, यह तथ्य भी उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित करायी गयी **साक्षी पी0 डब्लू0–2 अर्थात पीडिता** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने सशपथ साक्ष्य में यह तथ्य स्वीकार करना कि, "......उसके बाद अनीस मुझे वहीं पर किसी के घर में ले गया और वहां पर अनीस ने मेरे साथ मेरी बिना मर्जी के बलात्कार किया, फिर अनीस मुझे अपने घर ले गया.......मुझे 25 दिन तक बंधक बनाकर एक कमरे के अंदर रखा और अभियुक्त ने मेरे साथ लगातार हर दिन जबरदस्ती मेरी बिना मर्जी के बलात्कार किया......", स्पष्ट रूप से इस तथ्य को भी पुष्ट एवं प्रमाणित करता है कि अभियुक्त अनीस द्वारा उक्त नाबालिग पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त संभोग करने अथवा उक्त नाबालिग पीड़िता को विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से ही, घटना के दिनांक व समय पर उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण किया गया था।

27. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित करायी गयी साक्षी **पी0 डब्लू0–2,** जो कि स्वयं प्रस्तुत प्रकरण की पीड़िता भी है, द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने उपरोक्त मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य से भी, घटना का दिनांक 23.02.2015 की सुबह लगभग 06 बजे (जैसा कि अभियोजन कथानक में भी वर्णित एवं उल्लिखत है) का होना एवं घटना के वक्त पीड़िता का नाबालिग होना पुष्ट व प्रमाणित करते हुए, अभियुक्त अनीस द्वारा ही घटना के दिनांक 23.02.2015 को समय लगभग 06 बजे सुबह, स्थानः बहद जनता इण्टर कालेज का गेट, गोपीवाला कालेवाला, अंतर्गत थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद से, वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री अर्थात पीड़िता, के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने के लिए पीड़िता को विवश करने के आशय से, बहला फुसलाकर, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण करते हुए, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर, उसकी इच्छा एवं सम्मति के विरूद्ध जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार कारित करने संबंधी तथ्य/आरोप, स्पष्टतः साबित एवं प्रमाणित किया गया है, अर्थात अभियोजन कथानक को स्पष्ट रूप से पुष्ट एवं प्रमाणित किया गया है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा, इस अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0–2 अर्थात पीड़िता** से की गयी विस्तारपूर्वक जिरह में भी, ऐसा कोई भी तात्विक/सारवान विरोधाभासी अथवा प्रतिकूलार्थी तथ्य प्रकाश में नहीं लाया जा सका है, जिससे अभियोजन कथानक को किसी भी रूप में संदिग्ध अथवा संदेहास्पद मानते हुए, उसका कोई भी लाभ अभियुक्त पक्ष को अनुदत्त किया जा सके।

28. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0–2 अर्थात पीड़िता** को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये जाने के दौरान ही, उसके द्वारा पूर्व में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता **प्रदर्श क–4** को पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी/पीड़िता ने यह स्वीकार किया कि यह वही बयान है जो मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिया था, इस पर लगा फोटो मेरा है तथा हस्ताक्षर मेरे हैं, अर्थात साक्षी/पीड़िता द्वारा उक्त बयान अंतर्गत

धारा धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता **प्रदर्श क–4** पर अपने हस्ताक्षर को साबित व प्रमाणित करते हुए, उक्त बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से तस्दीक किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित करायी गयी उक्त **साक्षी पी0 डब्लू0–2 अर्थात पीड़िता** ने न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने सशपथ साक्ष्य में भी, स्वयं द्वारा पूर्व में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान अंतर्गत धारा धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता **प्रदर्श क–4** की सत्यता को स्पष्टतः सिद्ध किया गया है। पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये उक्त बयान अंतर्गत धारा धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में भी, पीड़िता ने अभियोजन कथानक का ही समर्थन व प्रमाणन करते हुए, यह स्पष्ट रूप से कहा है कि,"…….होम सांइस का 23.02.2015 को पेपर था। मैं सेंटर पर पेपर देने गोपीवाला, ठाकुरद्वारा गयी थी। वहां पर उस्मान खड़ा था, उसने मुझे पेपर शुरू होने से पहले बुलाया, कहने लगा कि तू घबरा रही है, पानी पी ले। मैंने मना कर दिया। उस्मान ने कहा कि मेरा दोस्त अनीस थोड़ी दूर पर खड़ा है, एक बार उससे मिल ले। मैं उस्मान के साथ गयी तो वहां कोई नहीं था। उस्मान मुझे शाम तक इधर उधर घुमाता रहा, इसी सब में मेरा पेपर छूट गया। शाम को स्टेशन के पास उस्मान ने मुझे अनीस के हवाले कर दिया। मैंने कहा कि मुझे घरवालों से डर लग रहा है कि मेरा पेपर छूट गया है। इन दोनों ने कहा कि तू डर मत, हम खुद छोड़कर आयेंगे, अनीस मुझे ट्रेन में बैठाकर शेरपुर पीलीभीत ले गया, वहां पहुंचकर मुझे जगह का पता चला था। अनीस ने कहा था कि तूझे घुमा फिराकर घर छोड़ आउँगा, इसलिए मैंने किसी से कोई मदद नहीं मांगी। शेरपुर में वह अपने घर ले गया। घर पर अनीस की मां भी थी। अनीस ने रात को मेरे साथ मेरी मर्जी के बिना गलत काम किया। मैं 25 दिन अनीस के घर में रही, मुझे कमरे में 25 दिन तक बंद रखा। अनीस की मां ने मुझे मारा था। 25 दिन तक अनीस ने मेरे साथ जबरदस्ती बुरा काम किया……''। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित हुयी **साक्षी पी0 डब्लू0–2**, जो कि स्वयं पीड़िता भी है, द्वारा घटना के पश्चात मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये अपने धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान **प्रदर्श क–4** में भी, घटना के दिनांक 23.02.2015 को समय लगभग 06 बजे सुबह, अभियुक्त अनीस द्वारा ही, उक्त नाबालिग पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने के लिए उसे विवश करने के आशय से, उसको बहला फुसलाकर, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण करते हुए, उसे अपने गांव शेरपुर, जिला पीलीभीत ले जाकर 25 दिन तक बंधक बनाते हुए, उस पर लगातार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करते हुए, उसकी इच्छा व सम्मति के विरूद्ध जबरदस्ती उससे लगातार बलात्कार कारित करने संबंधी तथ्यों एवं अभियोजन कथानक को स्पष्टतः सिद्ध एवं प्रमाणित किया गया है, जिनकी पुष्टि उक्त **साक्षी पी0 डब्लू0–2** अर्थात पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने शपथपूर्ण साक्ष्य में भी स्पष्ट रूप से किया गया है।

29. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित करायी गयी साक्षी **पी0 डब्लू0–2 अर्थात पीड़िता** द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर, अपने उपरोक्त सशपथ साक्ष्य के माध्यम से घटना का दिनांक 23.02.2015 की सुबह 06 बजे (जैसा कि अभियोजन कथानक में भी उल्लिखत किया गया है) का होना एवं उक्त घटना के समय पीड़िता का नाबालिग होना पुष्ट व प्रमाणित करते हुए, उक्त घटना के दिनांक 23.02.2015 की सुबह 06 बजे अभियुक्त अनीस द्वारा ही, प्रस्तुत प्रकरण की उक्त नाबालिग पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने हेतु पीड़िता को विवश करने के आशय से, बहला फुसलाकर/जबरदस्ती उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण कर, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए, उसकी इच्छा व सम्मति के विरूद्ध उससे जबरन बलात्कार किये जाने संबंधी

तथ्य/आरोप को स्पष्टः साबित एवं प्रमाणित किया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा इस अभियोजन **<u>साक्षी पी0 डब्लू0–2/पीड़िता</u>** से की गयी विस्तृत प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई भी तात्विक/सारवान विरोधाभासी तथ्य/अभिकथन, प्रकाश में नहीं लाया जा सका है, जिससे अभियोजन कथानक को किसी भी रूप में अथवा किसी भी अंश तक संदिग्ध अथवा संदेहास्पद मानते हुए, उसका कोई भी लाभ अभियुक्त को विधितः प्रदान किया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में ही **<u>माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था</u>**–**<u>Ganga Prasad v State of M.P., A.I.R. 2013 SC 3008</u>**, बेहद प्रासंगिक व महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि,"…. **<u>a victim of rape has to be given same weight as is given to an injured witness and her evidence needs no corroboration</u>**….", अर्थात उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया गया है कि बलात्कार की पीड़िता के साक्ष्य को, चुटहिल साक्षी के साक्ष्य की तरह ही महत्व दिया जाना चाहिए एवं पीड़िता के साक्ष्य को किसी अन्य साक्ष्य के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, यदि वह विश्वसनीय है।

33. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने अभियोजन कथानक को साबित एवं प्रमाणित कराये जाने हेतु परीक्षित कराये गये **<u>तथ्य के साक्षीगण– पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह</u>**, <u>जो कि स्वयं वादी मुकदमा एवं पीड़िता का पिता भी है</u> एवं **<u>पी0 डब्लू0–2 स्वयं पीड़िता</u>** के न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने–अपने मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य के सम्यक विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट व प्रमाणित है कि अभियोजन **<u>साक्षी पी0 डब्लू0–1</u>** द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य के माध्यम से घटना को दिनांक 23.02.2015 की सुबह लगभग 6.00 बजे की होना व घटना के समय पीड़िता का नाबालिग होना पुष्ट व प्रमाणित करते हुए, उक्त घटना के दिनांक व समय पर अभियुक्त अनीस द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करते हुए, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर उससे जबरदस्ती बलात्कार/गलत काम किये जाने संबंधी तथ्य को पुष्ट व प्रमाणित करते हुए, घटना के पश्चात संबंधित थाना ठाकुरद्वारा में दी गयी <u>लिखित तहरीर</u> को **<u>प्रदर्श क–1</u>** के रूप में साबित व प्रमाणित किया गया है तथा अभियेाजन **<u>साक्षी पी0 डब्लू0–2</u>** अर्थात स्वयं पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने उपरोक्त सशपथ साक्ष्य के माध्यम से, अभियोजन <u>साक्षी पी0 डब्लू0–1</u> के न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य का पूर्णतया समर्थन करते हुए, घटना को दिनांक 23.02.2015 की सुबह लगभग 6.00 बजे की होने व उक्त घटना के समय स्वयं के नाबालिग होने संबंधी तथ्य को पुष्ट करते हुए, उक्त घटना के दिनांक व समय पर अभियुक्त अनीस द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने के लिए उसे विवश करने के आशय से, बहला फुसलाकर उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण करते हुए, उक्त नाबालिग पीड़िता पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर, उसकी इच्छा एवं सम्मति के विरूद्ध जबरदस्ती उससे बलात्कार कारित किये जाने संबंधी तथ्यों को स्पष्टतः पुष्ट एवं प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये उपरोक्त **<u>तथ्य के साक्षीगण</u>**–**<u>पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह</u>**, <u>जो कि स्वयं वादी मुकदमा एवं पीड़िता का पिता भी है</u> एवं **<u>पी0 डब्लू0–2 स्वयं पीड़िता</u>** के न्यायालय के समक्ष दिये गये उपरोक्त सशपथ साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से, अभियोजन कथानक में वर्णित घटना का दिनांक 23.02.2015 की सुबह लगभग 6.00 बजे की होना एवं उक्त घटना के दिनांक को पीड़िता का नाबालिग होना पुष्ट एवं प्रमाणित होते हुए, उक्त घटना के दिनांक 23.02.2015 की सुबह लगभग 6.00 बजे, स्थानः बहद जनता इण्टर कालेज का गेट, गोपीवाला कालेवाला, अंतर्गत थाना ठाकुरद्वारा,

जिला मुरादाबाद से, अभियुक्त अनीस द्वारा, वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री अर्थात पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने हेतु उक्त पीड़िता को विवश करने के आशय से, बहला फुसलाकर, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण कर, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करते हुए, उसकी इच्छा एवं सम्मति के विरूद्ध, जबरदस्ती उससे बलात्कार कारित किये जाने संबंधी तथ्य/आरोप, स्पष्टतः साबित एवं प्रमाणित होते हुए पाये जा रहे हैं।

36. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने अभियोजन कथानक को साबित एवं प्रमाणित कराये जाने हेतु ही, **साक्षी सेवानिवृत्त हेड काँ0 चन्द्रभान सिंह**, *जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की गयी थी,* को **बतौर पी0 डब्लू0–3** परीक्षित कराया गया है। **साक्षी पी0 डब्लू0–3 सेवानिवृत्त हेड काँ0 चन्द्रभान सिंह,** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है कि,"....दिनांक 12.03.2015 को मैं थाना ठाकुरद्वारा में बतौर सी./सी. तैनात था। इस दिन वादी मुकदमा हरनाम सिंह ने एक टाइपशुदा तहरीर मुझे कार्यालय में आकर दी। शब्द ब शब्द बोल–बोल कर टाइप करायी थी। पत्रावली पर कागज सं0 4 क/1 एफ.आई.आर. को देखकर साक्षी ने कहा कि यही एफ.आई.आर. मैंने टाइप करवायी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। थाने की मुहर है, तस्दीक करता हूं। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। इसका खुलासा जी.डी. नं0 26, समय 15.20 बजे किया था। जी.डी. पत्रावली पर कागज सं0 5 क/2 को देखकर साक्षी ने कहा कि यही जी.डी. मेरे द्वारा टाइप करायी गयी थी। इस पर थाने की मुहर है, तस्दीक करता हूं। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था.....''। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित **साक्षी पी0 डब्लू0–3 सेवानिवृत्त हेड काँ0 चन्द्रभान सिंह** द्वारा अपने उपरोक्त मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में, स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में प्राथमिकी अभिलिखित किये जाने संबंधी तथ्यों को पुष्ट करते हुए, प्रस्तुत प्रकरण की **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2** एवं **नकल रपट जी.डी. कायमी मुकदमा प्रदर्श क–3** को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होना साबित एवं प्रमाणित करते हुए, उक्त प्रपत्रों की सत्यता को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया है। अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0–3 सेवानिवृत हेड काँ0 चन्द्रभान सिंह** से अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई भी सारवान विरोधाभासी तथ्य/कथन प्रकाश में नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक अथवा साक्षी के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य को किसी भी रूप में संदिग्ध अथवा संदेहास्पद मानते हुए, उसका कोई भी लाभ अभियुक्त पक्ष को प्रदान किया जा सके। इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0–3 सेवानिवृत हेड काँ0 चन्द्रभान सिंह,** प्रस्तुत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में तथ्य का साक्षी न होकर, अपितु एक औपचारिक साक्षी ही है।

34. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने अभियोजन कथानक के समर्थन में ही साक्षी **डा0 सुनीता पाण्डेय,** जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की पीड़िता का मेडिकोलीगल परीक्षण किया गया था, को **बतौर पी0 डब्लू0–4** परीक्षित कराया गया है। **साक्षी पी0 डब्लू0–4 डा0 सुनीता पाण्डेय** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है,"..........दिनांक 19.03.2015 को मैं महिला चिकित्सालय में ई.एम.ओ. के पद पर तैनात थी। समय 5.30 पी.एम. पर थाना ठाकुरद्वारा की महिला आरक्षी अनुराधा, इस मुकदमे की पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु लेकर आयी थी। पीड़िता की सहमति लेकर हस्ताक्षर कराये, उसका पता अंकित किया। पीड़िता अविवाहित थी। माहवारी लगभग एक महीने पहले की थी। होशो हवास में थी। द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित थे।

घटना के समय के कपड़े बदले हुए थे। बाह्य व आंतरिक परीक्षण में कोई चोट का निशान नहीं था। योनि स्राव से स्लाइड तैयार कर पैथोलोजी विभाग को भेजी गयी। आयु निर्धारण को एक्सरे की सलाह दी। हाइमन पुराना, फटा एवं जुड़ा हुआ था। पत्रावली पर कागज सं0 5क/20 व 5क/21 को देखकर साक्षी ने कहा कि यही मेडिकल रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, तस्दीक करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। पैथोलोजी रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट मिल जाने पर मैंने पीड़िता की पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट दिनांक 27.03.2015 को तैयार की थी। पैथोलोजी रिपोर्ट के अनुसार कोई जीवित अथवा मृत शुक्राणु नहीं पाया गया। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 20 वर्ष पायी गयी, **लेकिन रिपोर्टों के आधार पर पीड़िता के साथ लैंगिक हमले से इंकार नहीं किया जा सकता**। पत्रावली पर कागज सं0 5क/24 पूरक रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने कहा कि यही रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, तस्दीक करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया....''। इस प्रकार अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0–4 डा0 सुनीता पाण्डेय** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में, प्रस्तुत प्रकरण की पीड़िता के, किये गये मेडिकोलीगण परीक्षण संबंधी कार्यवाही के तथ्यों को पुष्ट एवं प्रमाणित करते हुए, परीक्षण के उपरांत तैयार की गयी पीड़िता की **मेडिकोलीगल परीक्षण आख्या** को **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित एवं प्रमाणित करते हुए, अपने उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में पीड़िता के बाहरी एवं आंतरिक परीक्षण में कोई भी जाहिरा चोट का निशान न पाते हुए, पीड़िता के हाइमन को पुराना, फटा एवं जुड़ा हुआ पाना स्वीकार करते हुए, पीड़िता के योनि से स्राव लेकर स्लाईड तैयार कर पैथोलोजी परीक्षण हेतु पैथोलोजिस्ट को भेजे जाने संबंधी तथ्य को भी पुष्ट एवं प्रमाणित करते हुए, पीड़िता की पैथोलोजी रिपोर्ट मिलने के उपरांत स्वयं द्वारा तैयार की गयी पीड़िता की **पूरक चिकित्सीय आख्या** अर्थात **सप्लीमेंट्री रिपोर्ट** को भी **प्रदर्श क–6** के रूप में अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होना साबित एवं प्रमाणित करते हुए, पीड़िता की पैथोलोजी रिपोर्ट में कोई भी जीवित अथवा मृत शुक्राणु का न पाया जाना एवं एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार पीडिता की आयु लगभग 20 वर्ष पाया जाना स्वीकार करते हुए, **पीड़िता के साथ लैंगिक हमले से इंकार नहीं किया जाना स्वीकार कर**, अभियोजन कथानक का ही, किसी न किसी रूप में समर्थन एवं प्रमाणन किया गया है।

35. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0–4 डा0 सुनीता पाण्डेय** से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में, **साक्षी पी0डब्लू0–4** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ अभिकथनों से इतर अथवा प्रतिकूल कोई भी सारवान कथन न करते हुए, अपितु अपने उक्त प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य में भी यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि, “..........यह मैं मुख्य परीक्षा में बता चुकी हूं कि पीड़िता के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। लैंगिक हमले के संबंध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी जा सकती.......... हाइमन चोट लगने या गिरने से टोर्न हो सकता है। साईकिलिंग से भी हो सकता है, अनिवार्य नहीं है। पीड़िता के परीक्षण में कोई भी जिंदा अथवा मृत शुक्राणु नहीं पाये गये। यह कहना गलत है कि पीड़िता के साथ किसी प्रकार की लैंगिक हमले की घटना न हुयी हो और मैंने फर्जी रिपोर्ट तैयार की हो.....''। इस प्रकार अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0–4 डा0 सुनीता पाण्डेय** से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में भी, **साक्षी पी0डब्लू0–4** द्वारा, अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य (जिसके माध्यम से **साक्षी पी0डब्लू0–4** द्वारा पीड़िता के किये गये मेडिकोलीगल परीक्षण संबंधी तथ्यों को पुष्ट करते हुए, पीड़िता की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को बतौर **प्रदर्श क–5** एवं सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को बतौर **प्रदर्श क–6** साबित कर, पीड़िता के साथ लैंगिक हमला होने से इंकार न करना स्वीकार करते हुए, अभियोजन कथानक को ही

<u>बल एवं समर्थन प्रदान किया गया है</u>) के विपरीत अथवा प्रतिकूल कोई भी सारवान विरोधाभासी कथन न करते हुए, अपितु अपनी उपरोक्त प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य में भी, मेडिकल परीक्षण के दौरान पीड़िता की तैयार की गयी मेडिकल रिपोर्ट एवं सप्लीमेंट्री रिपोर्ट अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किये जाने संबंधी तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के साथ ही साथ, पीड़िता के साथ लैंगिक हमले की घटना न होने एवं स्वयं द्वारा फर्जी रिपोर्ट तैयार करने संबंधी बचाव पक्ष के अधिवक्ता के सुझावात्मक अभिकथनों को स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए, किसी न किसी रूप में अभियोजन कथानक के तथ्यों को ही समर्थन प्रदान करते हुए, अपनी उपरोक्त प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में ऐसा कोई भी तात्विक/सारवान विरोधाभासी अथवा प्रतिकूलार्थी तथ्य अभिकथित नहीं किया गया है, जिससे साक्षी के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य पर किसी भी प्रकार से कोई अविश्वास अथवा संदेह किये जाने का, कोई न्यायोचित आधार दृष्टिगोचर होता हुआ पाया जा सके।

36. जहां तक बचाव पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से न्यायालय के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुतीकरण के समय, **<u>साक्षी पी0 डब्लू0–4 डाक्टर सुनीता पाण्डेय</u>** के साक्ष्य में उल्लिखत इस तथ्य कि, '.....*<u>पीड़िता के बाह्य व आंतरिक परीक्षण में कोई चोट का निशान नहीं था</u>*....', के आधार पर उद्धरित इस तर्क कि,'<u>पीड़िता के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट का निशान न पाया जाना, अभियोजन कथानक की घटना को संदिग्ध बनाता हुआ प्रतीत हो रहा है,</u>' का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में **<u>माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था</u>**– **<u>State of U.P. v Chottey Lal, A.I.R. 2011 SC 697,</u>** बेहद प्रासंगिक व महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि,".....***<u>even where no external or internal marks of injury on the private part of the victim of rape was found in medical examination, the testimony of the prosecutrix that she was raped by the accused, can not be discarded</u>***....."। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में बचाव पक्ष के अधिवक्ता का उक्त तर्क भी स्वीकार होने योग्य नहीं पाया जा रहा है।

37. अभियोजन पक्ष की तरफ से, अपने अभियोजन कथानक के समर्थन में ही, **<u>साक्षी गीता जायसवाल</u>**, <u>प्रधानाचार्या</u>, <u>राजकीय कन्या इण्टर कालिज काशीपुर</u>, <u>जिला उधमसिंह नगर</u>, <u>उत्तराखण्ड</u>, को **<u>बतौर पी0 डब्लू0–5</u>** परीक्षित कराया गया है। **<u>साक्षी पी0 डब्लू0–5 गीता जायसवाल</u>** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये, अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है कि,"....माननीय न्यायालय की सूचना पर मैं आज इस मुकदमे की पीड़िता से संबंधित मूल एस.आर. लेकर उपस्थित आयी हूं। मेरे विद्यालय के एस.आर. में क्रमांक 24321 पर अंकित है। पीड़िता ने मेरे विद्यालय में कक्षा 09 में प्रवेश लिया था। जन्मतिथि 09.09.98 अंकित है। पिता का नाम हरनाम सिंह, माता का नाम राममूर्ती अंकित है। पीड़िता ने इससे पूर्व ज्ञान प्रगति पब्लिक जू.हा. ग्राम बांसखेड़ा, उधमसिंह नगर से कक्षा 08 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसकी मूल टी.सी. भी आज लेकर आयी हूं। उसमें भी पीड़िता की जन्मतिथि 09.09.1998 अंकित है। <u>एस.आर. की छायाप्रति प्रमाणित</u> करके मूल से मिलान करने पर, दाखिल कर रही हूं। इस पर **<u>प्रदर्श क–7</u>** डाला गया। <u>पूर्व विद्यालय की टी.सी. की छायाप्रति प्रमाणित</u> करके, दाखिल कर रही हूं। इस पर **<u>प्रदर्श क–8</u>** डाला गया। <u>प्रवेश फार्म मूल</u> भी साथ लेकर आयी हूं। उस<u>की छायाप्रति प्रमाणित</u> करके दाखिल करती हूं। इस पर **<u>प्रदर्श क–9</u>** डाला गया......''। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित **<u>साक्षी पी0 डब्लू0–5 गीता जायसवाल</u>** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में, पीड़िता की आयु के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के <u>एस.आर. रजिस्टर</u>

की प्रमाणित छायाप्रति को बतौर **प्रदर्श क–7**, पीड़िता के पूर्व विद्यालय की टी.सी. की प्रमाणित छायाप्रति को बतौर **प्रदर्श क–8** एवं पीड़िता के मूल प्रवेश फार्म की प्रमाणित छायाप्रति को **प्रदर्श क–9** के रूप में साबित एवं प्रमाणित किया गया है, जिनमें पीड़िता की जन्मतिथि के कालम में पीड़िता की जन्मतिथि 09.09.1998 होना दर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में पीड़िता के उपरोक्त एस.आर. रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श क–7**, पीड़िता के पूर्व विद्यालय की टी.सी. की प्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श क–8** एवं पीड़िता के मूल प्रवेश फार्म की प्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श–9** में अंकित पीड़िता की जन्मतिथि 09.09.1998 के आधार पर, घटना के दिनांक 23.02.2015 को पीड़िता का 18 वर्ष से कम की आयु का होना अर्थात अवयस्क एवं नाबालिग होना ही पुष्ट एवं प्रमाणित होते हुए, अभियोजन कथानक का ही किसी न किसी रूप में समर्थन व प्रमाणन होता हुआ पाया जा रहा है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित **साक्षी पी0 डब्लू0–5 गीता जायसवाल** से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में, **साक्षी पी0 डब्लू0–5** द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि, "........मैं, पीड़िता के हमारे विद्यालय में प्रवेश के समय इस विद्यालय में प्रधानाचार्या के पद पर कार्यरत नहीं थी। मुझे ध्यान नहीं कि पीड़िता ने प्रवेश किस दिनांक को लिया था। हमारे यहां टी.सी. को बी.एस.ए. से, गैर जनपद स्थानान्तरित होने पर ही प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाता है..........पीड़िता का प्रवेश मेरे विद्यालय में टी.सी. के आधार पर हुआ था, जिस स्कूल की टी.सी. लायी थी, उस स्कूल का नाम इस समय पूरी तरह याद नहीं। मुझे जानकारी नहीं है कि वह सरकारी स्कूल था या प्राइवेट,......टी.सी. के अलावा कोई अन्य दस्तावेज प्रवेश के समय नहीं दिया गया था....''। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित करायी गयी **साक्षी पी0 डब्लू0–5 गीता जायसवाल** द्वारा अपने प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में भी, अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य के सशपथ अभिकथन (जिसके माध्यम से **साक्षी पी0 डब्लू0–5** द्वारा पीड़िता के एस.एस. रजिस्टर की स्वप्रमाणित छायाप्रति को **प्रदर्श क–7**, पीड़िता के पूर्व विद्यालय की टी.सी. की स्वप्रमाणित छायाप्रति **प्रदर्श क–8** एवं पीड़िता के प्रवेश फार्म की स्वप्रमाणित छायाप्रति को **प्रदर्श क–9** के रूप में साबित व प्रमाणित करते हुए, पीड़िता की जन्मतिथि को 09.09.1998 के रूप में पुष्ट कर, घटना के दिनांक को पीडिता के नाबालिग होने संबंधी तथ्य को ही बल एवं समर्थन प्रदान किया गया है), के प्रतिकूल अथवा इतर कोई भी सारवान विरोधाभासी कथन न करते हुए, अपितु अपने प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में भी, यह तथ्य स्वीकार करते हुए कि किसी छात्र के गैर जनपद स्थानान्तरित पर ही उसकी टी.सी. को बी.एस.ए. द्वारा प्रतिस्ताक्षरित कराया जाता है एवं पीड़िता का साक्षी के विद्यालय में प्रवेश, पीड़िता के पूर्व विद्यालय के टी.सी. के ही आधार पर हुआ था, अपनी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई भी सारवान एवं तात्विक विरोधाभासी कथन अभिकथित नहीं किया गया है, जिससे **साक्षी पी0 डब्लू0–5** के न्यायालय के समक्ष दिये गये पीड़िता की आयु के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य (जिसके माध्यम से पीड़िता की जन्मतिथि 09.09.1998 पुष्ट करते हुए, घटना के दिनांक को पीड़िता के नाबालिग होने संबंधी तथ्य को ही साबित एवं सिद्व किया गया है) पर, किसी भी प्रकार से कोई संदेह अथवा अविश्वास किये जाने का, कोई भी न्यायसंगत आधार न्यायालय के समक्ष दृष्टिगोचर होता हुआ पाया जा सके।

38. अभियोजन पक्ष की तरफ से, अपने अभियोजन कथानक को साबित एवं प्रमाणित कराये जाने हेतु ही, **साक्षी उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह**, जो कि प्रकरण के प्रारम्भिक विवेचक रहे हैं, को **बतौर पी0 डब्लू0–6** परीक्षित कराया गया है। **साक्षी पी0 डब्लू0–6 उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह

अभिकथित किया गया है कि, “........दिनांक 12.03.2015 को मैं थाना ठाकुरद्वारा पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। इस दिन थाने पर पंजीकृत मु0 अ 0 सं0 102/2015 की विवेचना मुझे सुपुर्द हुयी, ग्रहण कर नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक अंकित किये। दि0 16.03.2015 को बयान वादी व वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया। पत्रावली पर कागज सं0 5 क/3 को देखकर साक्षी ने कहा कि यही वो **नक्शा नजरी** है, जो मेरे द्वारा तैयार किया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, तस्दीक करता हूं, इस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। उसके बाद मैंने वादी की पत्नी राममूर्ती देवी, भाई यशपाल के बयान अंकित किये। दिनांक 17.03.2015 की सी.डी.आर. का अवलोकन कर सी.डी. में किता किया। दि0 19.03.2015 को महिला आरक्षी के सहयोग से पीड़िता को बरामद किया। दि0 20.03.2015 को महिला आरक्षी अनुराधा के द्वारा पीड़िता के बयान अंकित कराये। बयानों के आधार पर धारा 376 भा0 दं0 सं0 की बृद्धि की तथा इसी दिन अभियुक्त अनीस व उस्मान को गिरफ्तार कर उनके बयान अंकित किये। धारा 376 भा0 दं0 सं0 की बृद्धि हो जाने पर विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक नरेन्द्र त्यागी को सुपुर्द की गयी......’’। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये **साक्षी पी0 डब्लू0–6 उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह**, जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर की विवेचना संपादित की गयी थी, ने अपने मुख्य परीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में, प्रस्तुत प्रकरण की संपादित विवेचना के विवेचनात्मक तथ्यों को पुष्ट करते हुए, विवेचना के अनुक्रम में घटनास्थल का वादी मुकदमा की निशानदेही पर निरीक्षण करते हुए, नक्शा नजरी घटनास्थल तैयार किये जाने, दिनांक 19.03.2015 को पीड़िता की बरामदगी सुनिश्चित करते हुए, महिला काँस्टेबिल के माध्यम से उसका बयान अंकित कराये जाने एवं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में धारा 376 भारतीय दंड संहिता की बृद्धि किये जाने, अभियुक्त अनीस को गिरफ्तार किये जाने एवं प्रकरण में धारा 376 भारतीय दंड संहिता की बृद्धि हो जाने पर विवेचना का वरिष्ठ उपनिरीक्षक नरेन्द्र त्यागी को सुपुर्द किये जाने संबंधी तथ्यों को पुष्ट एवं प्रमाणित करते हुए, प्रस्तुत प्रकरण के **नक्शा नजरी घटनास्थल** को **प्रदर्श क–10** के रूप में अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में होना साबित एवं प्रमाणित करते हुए, उक्त प्रपत्र की सत्यता को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हुए, अभियोजन कथानक का पूर्णरूपेण समर्थन एवं प्रमाणन किया गया है।

39. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0–6 उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह** से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गयी विस्तृत प्रतिपरीक्षा में, **साक्षी पी0 डब्लू0–6** द्वारा यह सशपथ अभिकथित किया गया है कि, “...........विवेचना मुझे दिनांक 12.03.2015 को प्राप्त हुयी थी, मेरे सुपुर्द की गयी थी........वादी मुकदमा के बयान मैंने दि0 16.03.2015 को अंकित किये थे.......मैंने वादी मुकदमा से यह नहीं पूछा कि मुकदमा लिखाने में 18 दिन से अधिक देरी क्यूं हुयी और न ही उसने स्वयं बताया। पहले मैंने पीड़िता को दि0 19.03.2015 को बरामद किया था..............पीड़िता की बरामदगी के समय काफी लोग उपस्थित थे, लेकिन कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने वहां पर उपस्थित किसी व्यक्ति को साक्षी बनने के लिए लिखित में आदेश नहीं दिया। पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 मैंने दि0 20.03.2015 को अंकित किये थे। मैंने बयान थाने पर अंकित किये थे। बयान अंकित करने में कितना समय लगा, याद नहीं। अभियुक्त की गिरफ्तारी दि0 20.03.2015 को की थी। गिरफ्तारी काशीपुर चुंगी/बस अड्डा से की थी, वहां काफी लोग गिरफ्तारी के समय उपस्थित थे। आस–पास काफी दुकानें भी थीं। मैंने गिरफ्तारी स्थल का नक्शा नजरी नहीं बनाया। मैंने गिरफ्तारी की फर्द नहीं बनायी थी। मैंने किसी को स्वतंत्र साक्षी भी नहीं

बनाया................मुझे अभियुक्त के मोबाइल नंबर भी इस समय याद नहीं है। घटनास्थल का नक्शा नजरी मैंने दि0 16.03.2015 को बनाया था। मैंने नक्शा नजरी पर अभियुक्त का नाम नहीं डाला है। मैंने घटनास्थल को नक्शा नजरी में 'एक्स' चिन्ह से दर्शया है। मैंने नक्शा नजरी जनता इण्टर कालेज गोपीवाला, कालेवाला का बनाया है। मैंने पूछताछ प्रिंसिपल से भी की थी। मैंने बलात्कार वाले घटनास्थल का नक्शा नजरी नहीं बनाया, न ही मैंने निरीक्षण किया। यह कहना गलत है कि गिरफ्तारी के समय मेरी डयूटी न रही हो और यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मेरे द्वारा न की गयी हो..........''। इस प्रकार अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0–6 पुष्पेन्द्र सिंह/प्रथम विवेचक** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने उपरोक्त प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य में भी, अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य (जिसके माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण के नक्शा नजरी घटनास्थल को बतौर **प्रदर्श क–10** साबित एवं प्रमाणित कर, पीड़िता की बरामदगी को सुनिश्चित कर, पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण में धारा 376 भा0 दं0 सं0 की बृद्धि करना पुष्ट करते हुए, अभियोजन कथानक का स्पष्टरूपेण समर्थन किया गया है), के विपरीत अथवा प्रतिकूल कोई भी तात्विक विरोधाभासी कथन न करते हुए, अपितु उक्त प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य में भी, प्रकरण के नक्शा नजरी को स्वयं द्वारा ही वादी की निशानदेही पर तैयार किये जाने, पीड़िता को दिनांक 19.03.2015 को बरामद किये जाने, घटना के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के विद्यालय–जनता इण्टर कालेज गोपीवाला, कालेवाला के प्रिन्सिपल से भी पूछताछ किये जाने संबंधी तथ्यों को, स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के साथ ही साथ, अभियुक्त को स्वयं द्वारा गिरफ्तार न करने संबंधी बचाव पक्ष के अधिवक्ता के सुझावात्मक अभिकथन को स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए, किसी न किसी रूप में अभियोजन कथानक में वर्णित तथ्यों को ही बल एवं समर्थन प्रदान किया गया है तथा साथ ही साथ अपनी प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में ऐसा कोई भी तात्विक एवं सारवान विरोधाभासी कथन, अभिकथित नहीं किया गया है जिससे साक्षी के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य अथवा अभियोजन कथानक पर, किसी भी प्रकार से कोई अविश्वास अथवा संदेह किये जाने का कोई भी युक्तियुक्त, विधिसंगत एवं न्यायसंगत आधार न्यायालय के समक्ष दृष्टिगोचर होता हुआ पाया जा सके। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये **साक्षी पी0 डब्लू0–6 उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह/प्रथम विवेचक** के न्यायालय के समक्ष दिये गये उपरोक्त सशपथ साक्ष्य से भी, अभियोजन कथानक के तथ्यों को ही स्पष्टतः बल एवं समर्थन प्राप्त होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है।

40. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने अभियोजन पक्ष के कथानक के समर्थन में ही, **साक्षी फतेह सिंह, सेवानिवृत निरीक्षक,** जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पश्चातवर्ती विवेचना संपन्न करते हुए, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया था, को **बतौर पी0 डब्लू0–** 7 परीक्षित कराया गया है। **साक्षी पी0 डब्लू0–7 सेवानिवृत निरीक्षक फतेह सिंह** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है कि,"....दिनांक 23.02.2015 को प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरद्वारा के पद पर तैनात था। थाने पर मु0 अ 0 सं0 102/2015 अंतर्गत धारा 363, 366 भा0 दं0 सं0 पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह के सुपुर्द की गयी थी। उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा विवेचना से धारा 376 भा0 दं0 सं0 का होना पाया गया, जिससे अभियुक्त उस्मान व अनीस के खिलाफ धारा 363, 366, 376 भा0 दं0 सं0 में विवेचना उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा प्रचलित की गयी थी। धारा 376 भा0 दं0 सं0 की बृद्धि के बाद, थाने पर तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक नरेन्द्र त्यागी के सुपुर्द विवेचना हुयी थी, जिसमें उनके द्वारा पीड़िता के

मेडिकल रिपोर्ट की नकल, पैथोलोजी रिपोर्ट की नकल सी.डी. में कर, मेडिकल संलग्न किया गया था। दिनांक 30.03.2015 को श्री नरेन्द्र त्यागी के द्वारा पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 164 दं0 प्र 0 सं0 न्यायालय में अंकित कराया गया था व उनके द्वारा बयानों का अवलोकन किया गया, जिसमें पीड़िता की उम्र शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि 09.09.1998 थी। घटना के समय उम्र 16 वर्ष 05 माह 14 दिन थी, के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बृद्धि की गयी थी, के उपरांत विवेचना दि0 30.04.2015 को मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी, जिसका पर्चा नं0 10 किता किया गया था। दि0 04.05.2015 को पर्चा नं0 11 किता किया गया था, जिसमें अभियुक्त अनीस की माँ मकबूलन पत्नी नवी अहमद का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें अभियुक्त अनीस की माँ मकबूलन के खिलाफ धारा 342, 323 भा0 दं0 सं0 व 16/17 पाक्सो एक्ट की बृद्धि की गयी थी। पर्चा नं0 12 दि0 15.05.2015 को किता किया गया था। दि0 24.05.2015 को पर्चा नं0 15 किता किया गया था, जिसमें अभियुक्ता मकबूलन की गिरफ्तारी व बयान अंकित किया गया था। उसी दिन अभियुक्त उस्मान पुत्र असलम, अनीस पुत्र नवी अहमद के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भा0 दं0 सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध, बयान गवाह, बयान पीड़िता, मेडिकल रिपोर्ट व शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर, पाया गया था और अभियुक्त अनीस की मां मकबूलन के विरूद्ध धारा 342, 323 भा0 दं0 सं0 व 16/17 पॉक्सो एक्ट का अपराध पाया गया था। अपराध के पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्त उस्मान व अनीस के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भा0 दं0 सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व अभियुक्ता मकबूलन के विरूद्ध धारा 342, 323 भा0 दं0 सं0 व 16/17 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपपत्र सं0 126/2015 न्यायालय में प्रेषित किया। पत्रावली पर कागज सं0 3 क/1 आरोपपत्र को देखकर साक्षी ने कहा कि मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूं। इस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया......"। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित **साक्षी पी0 डब्लू0–7 सेवानिवृत निरीक्षक फतेह सिंह** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य में, प्रस्तुत प्रकरण में पश्चातवर्ती विवेचना संपन्न करते हुए, विवेचना के अनुक्रम में पूववर्ती विवेचक नरेन्द्र त्यागी द्वारा पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा164 दं0 प्र 0 सं0 न्यायालय में अंकित कराये जाने, पीड़िता के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि 09.09.1998 पाये जाने के आधार पर, घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष 05 माह 14 दिन होने के आधार पर, प्रकरण में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की भी बृद्धि किये जाने के उपरांत विवेचना को साक्षी पी0 डब्लू0–7 द्वारा ग्रहण किये जाने, साक्षी द्वारा की गयी विवेचना के अनुक्रम में अभियुक्त अनीस की मां मकबूलन के विरूद्ध धारा 342/323 भा0 दं0 सं0 व धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट की बृद्धि किये जाने, उक्त अभियुक्ता मकबूलन की गिरफ्तारी किये जाने व प्रकरण की विवेचना के दौरान एकत्रित किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण–उस्मान पुत्र असलम (जिसकी मृत्यु होने के आधार पर मुकदमा को उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा उपशमित किया जा चुका है) एवं अनीस पुत्र नवी अहमद के विरूद्ध आरोपपत्र संख्याः126/2015 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं अभियुक्ता मकबूलन (जिसकी मृत्यु होने के आधार पर मुकदमा को उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा उपशमित किया जा चुका है) के विरूद्ध अंतर्गत धारा 342, 323 भा0 दं0 सं0 व धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट का न्यायालय में प्रेषित किया जाना पुष्ट एवं प्रमाणित करते हुए, अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित उपरोक्त **आरोपपत्र** को **प्रदर्श क–11** के रूप में अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में होना, साबित एवं प्रमाणित करते हुए, उक्त प्रपत्र की

सत्यता को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हुए, अभियोजन कथानक का ही पूर्णरूपेण समर्थन एवं प्रमाणन किया गया है।

41. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित **साक्षी पी0 डब्लू0–7 सेवानिवृत निरीक्षक फतेह सिंह** से, बचाव पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से की गयी प्रतिपरीक्षा में भी, **साक्षी पी0 डब्लू –7** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ अभिकथनों (जिसके माध्यम से साक्षी पी0 डब्लू0–7 द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र को बतौर **प्रदर्श क–11** साबित एवं प्रमाणित करते हुए, अभियेाजन कथानक का ही समर्थन व प्रमाण किया गया है) के प्रतिकूल अथवा विपरीत कोई भी सारवान विरोधाभासी कथन न करते हुए, अपितु अपनी उपरोक्त प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य में भी, पीड़िता के साथ कोई घटना कारित न होने एवं अभियुक्त पक्ष के विरूद्ध विधिनुसार आरोपपत्र प्रेषित न किये जाने संबंधी बचाव पक्ष के अधिवक्ता के सुझावात्मक अभिकथनों को स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए, किसी न किसी रूप में पुनः अभियोजन कथानक के तथ्यों को ही बल एवं समर्थन प्रदान करते हुए, अपनी उपरोक्त प्रतिपरीक्षा के सशपथ साक्ष्य में ऐसा कोई भी सारवान एवं तात्विक विरोधाभासी अभिकथन, अभिकथित नहीं किया गया है जिससे साक्षी की विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र अथवा साक्षी के उपरोक्त सशपथ साक्ष्य पर कोई संदेह अथवा अविश्वास किये जाने हेतु, कोई न्यायसंगत एवं विधिसंगत आधार न्यायालय के समक्ष दृष्टिगोचर होता हुआ पाया जा सके। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0 डब्लू0–7 सेवानिवृत निरीक्षक फतेह सिंह/पश्चातवर्ती विवेचक के न्यायालय के समक्ष दिये गये उपरोक्त सशपथ साक्ष्य से भी, अभियोजन कथानक के तथ्यों को ही स्पष्टतः बल एवं समर्थन प्राप्त होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है।

42. जहां तक बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क कि,'......*पीड़िता को अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर, उसके विद्यालय जनता इण्टर कालेज ठाकुरद्वारा से अपने गांव शेरपुर, जिला पीलीभीत ले जाकर, उसे 25 दिन तक निरूद्ध कर, लगातार उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किये जाने के तथ्य का उल्लेख करने के बावजूद भी, उक्त स्थान को नक्शा नजरी में उल्लिखित नहीं किया गया है एवं विवेचक द्वारा पीड़िता को भी उक्त बलात्कार वाली घटना के उस स्थान पर नहीं ले जाया गया, जिस स्थान पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता को निरूद्ध कर उस पर बलात्कार अथवा प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना अभिकथित किया गया है और न ही विवेचक द्वारा स्वयं विवेचना हेतु उक्त स्थान पर जाया गया, बल्कि विवेचक द्वारा वादी मुकदमा से मिलकर, समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर फर्जी रूप से सम्पन्न करते हुए, झूठा एवं फर्जी आरोपपत्र प्रेषित किया गया है, ऐसी दशा में विवेचक द्वारा की गयी विवेचना सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण है एवं ऐसी त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर प्रेषित आरोपपत्र पर, अभियुक्त को दण्डित नहीं किया जा सकता*....,' का प्रश्न है तो, इस परिप्रेक्ष्य में **माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था– Hema v State, 2013 (81) ACC 1 (SC-Three Judge Bench)** बेहद प्रासंगिक व महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष ने अपने विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित व प्रमाणित कर दिया है तो विवेचना में की गई किसी भी त्रुटि का, अभियोजन पक्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये **साक्षीगण– पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह** (वादी मुकदमा एवं पीड़िता का पिता), **पी0 डब्लू0–2 स्वयं पीड़िता,** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये, अपने–अपने सशपथ साक्ष्य के माध्यम से, अभियोजन कथानक में दी गयी घटना को पूर्णरूपेण साबित एवं प्रमाणित किया गया है।

अतः बचाव पक्ष का यह तर्क भी विधितः स्वीकार होने योग्य नहीं पाया जा रहा है और तदनुसार इस तर्क का भी कोई भी लाभ, अभियुक्त पक्ष को अनुदत्त नहीं किया जा सकता।

43. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये उपरोक्त **<u>साक्षीगण</u>–<u>पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह</u>** (वादी मुकदमा एवं पीड़िता का पिता), **<u>पी0 डब्लू0–2 स्वयं पीड़िता</u>, <u>पी0 डब्लू0–3 सेवानिवृत हे0 कॉं0 चन्द्रभान सिंह</u>** (एफ.आई.आर. लेखक), **<u>पी0 डब्लू0–4 डा0 सुनीता पाण्डेय</u>** (मेडिकोलीगण परीक्षणकर्ती), **<u>पी0 डब्लू0–5 गीता जायसवाल</u>** (प्रधानाचार्या), **<u>पी0 डब्लू0–6 उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह</u>** (प्रारम्भिक विवेचक) एवं **<u>पी0 डब्लू0–7 सेवानिवृत निरीक्षक फतेह सिंह</u>** (पश्चातीवर्ती विवेचक), के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने–अपने उपरोक्त सशपथ साक्ष्य के सम्यक विश्लेषण से, अभियोजन कथानक में वर्णित घटना का दिनांक 23.02.2015 की सुबह लगभग 6.00 बजे की होना (<u>जैसा कि अभियोजन कथानक में भी वर्णित है</u>) एवं उक्त घटना के दिनांक को पीड़िता का नाबालिग होना पुष्ट एवं प्रमाणित होते हुए, अभियोजन कथानक में वर्णित घटना अर्थात दिनांक 23.02.2015 को समय लगभग 6.00 बजे सुबह, स्थानः बहद जनता इण्टर कालेज का गेट, गोपीवाला कालेवाला, अंतर्गत थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद से, अभियुक्त अनीस द्वारा, वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री अर्थात पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने हेतु उक्त पीड़िता को विवश किये जाने के आशय से, बहला फुसलाकर, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण कर, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करते हुए, उसकी इच्छा एवं सम्मति के विरूद्ध जबरन उससे बलात्कार कारित किये जाने संबंधी तथ्य/आरोप, संदेह से परे स्पष्ट रूप से साबित एवं प्रमाणित होते हुए पाये जा रहे हैं।

44. जहां तक बचाव पक्ष के अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि पीड़िता के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता एवं धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों में विरोधाभास है एवं अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में तात्विक भिन्नता है, इसलिए गवाहों के बयान संदिग्ध हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में **<u>माननीय उच्तम न्यायालय की विधि व्यवस्था</u> <u>स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश बनाम धरलोले उर्फ गोविंद सिंह व अन्य, *2005* क्रिमिनल लॉ जर्नल , *108*</u>** बेहद प्रासंगिक व महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा यह स्पष्टतः अवधारित किया गया है कि,"*.......**<u>A reasonable doubt is not an imaginary, tririval or a merely possible doubt; but a fair doubt based upon reason and common sense. It must grow out of the evidence in the case.</u>**......*"। इस प्रकार माननीय उच्तम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में, बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए <u>तथ्य के</u> **<u>साक्षीगण</u>– <u>पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह</u>** (वादी मुकदमा एवं पीड़िता का पिता) एव **<u>पी0 डब्लू0–2 स्वयं पीड़िता</u>,** के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने–अपने सशपथ साक्ष्य के माध्यम से, अभियोजन कथानक को पूर्णरूपेण सिद्ध एवं साबित किया गया है एवं उपरोक्त साक्षीगण के उक्त सशपथ साक्ष्य में संगतता एवं निरंतरता है। साथ ही साथ बचाव पक्ष की तरफ से ऐसी कोई भी तात्विक एवं सारवान भिन्नता व विरोधाभासी स्थिति को प्रकट व स्पष्ट नहीं किया जा सका है जिससे अभियोजन साक्षियों के उपरोक्त बयानों पर किसी भी प्रकार से अविश्वास अथवा संदेह उत्पन्न होता हुआ पाया जा सके। अतः बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क का भी, कोई भी लाभ, अभियुक्त पक्ष को अनुदत्त नहीं किया जा सकता।

45. जहां तक बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क कि," <u>अभियेाजन पक्ष द्वारा वास्तविक अभियुक्त सतेन्द्र को बचाते हुए, अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है</u> ", का प्रश्न है

तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण है कि बचाव पक्ष की तरफ से ऐसा कोई भी सारवान मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जो अभियोजन पक्ष अथवा वादी मुकदमा द्वारा वास्तविक तथाकथित अभियुक्त सतेन्द्र को बचाते हुए, अभियुक्त अनीस को झूठा फंसाये जाने संबंधी तथ्य को, युक्तियुक्त एवं सम्यक रूप से पुष्ट एवं प्रमाणित करते हुए, न्यायालय को यह निष्कर्षित किए जाने हेतु समर्थ बनाती हो कि अभियुक्त को, वादी मुकदमा अथवा अभियोजन पक्ष द्वारा, झूठा एवं फर्जी रूप से फंसाया गया हो। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क भी विधितः स्वीकार होने योग्य नहीं पाया जा रहा है।

46. इस सम्बन्ध में **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** की **धारा 29** भी बेहद प्रासंगिक व महत्वपूर्ण है जिसमें स्पष्टतः प्राविधानित है कि, " जहॉ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, वहॉ विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है, जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है", अर्थात **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** की **धारा 29** के उपरोक्त उपबंध के अनुसार, न्यायालय अभियुक्त द्वारा अपराध के किये जाने की उपधारणा करेगा **(shall presume),** जब तक कि अभियुक्त द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता। इस प्रकार धारा 29, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में स्वयं को निर्दोष साबित करने का भार, अभियुक्त पर अधिरोपित किया गया है, एवं प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अनीस द्वारा, स्वयं के मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य आदि से, अभियोजन कथानक के विपरीत, अपनी निर्दोषिता साबित व प्रमाणित नहीं की जा सकी है, अपितु इसके विपरीत अभियोजन पक्ष द्वारा, अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, अभियुक्त अनीस पर अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366 व 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012, संदेह से परे साबित किया गया है।

47. इस प्रकार पत्रावली में अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराए गए उपरोक्त **समस्त साक्षीगण**– **पी0 डब्लू0–1 हरनाम सिंह** (वादी मुकदमा एवं पीड़िता का पिता), **पी0 डब्लू0–2 स्वयं पीड़िता, पी0 डब्लू0–3 सेवानिवृत्त हे0 काँ0 चन्द्रभान सिंह** (एफ.आई.आर. लेखक), **पी0 डब्लू0–4 डा0 सुनीता पाण्डेय** (मेडिकोलीगण परीक्षणकर्ती), **पी0 डब्लू0–5 गीता जायसवाल** (प्रधानाचार्या), **पी0 डब्लू0–6 उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह** (प्रारम्भिक विवेचक) एवं **पी0 डब्लू0–7 सेवानिवृत्त निरीक्षक फतेह सिंह** (पश्चातीवर्ती विवेचक), के न्यायालय के समक्ष दिये गये उपरोक्त सशपथ मौखिक साक्ष्य एवं पत्रावली में दाखिल हुए समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के समग्र अवलोकन एवं विश्लेषण के उपरांत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, न्यायालय का यह स्पष्ट निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से, अभियुक्त अनीस पर, घटना के दिनांक 23.02.2015 को समय लगभग 6.00 बजे सुबह, स्थानः बहद जनता इण्टर कालेज का गेट, गोपीवाला कालेवाला, अंतर्गत थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में, वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री अर्थात पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा शादी किये जाने हेतु उक्त पीड़िता को विवश करने के आशय से, बहला फुसलाकर, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण करते हुए, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर, उसकी इच्छा एवं सम्मति के

विरूद्ध जबरदस्ती उससे बलात्कार कारित किये जाने संबंधी अधिरोपित आरोप, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित व प्रमाणित किया गया है, अर्थात अभियोजन पक्ष, अभियुक्त अनीस पर अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 363, 366 व 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त अनीस, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 व 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अनीस को सत्र विचारण संख्याः734/2015, मुकदमा अपराध संख्याः 102/2015, थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 व 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 की धारा 3/4 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध होते हुए, जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष हाजिर है। पत्रावली, दण्ड के बिंदु पर सुनवायी हेतु, लंच बाद पेश हो।

दिनाँकः 06.03.2025

(रघुबर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद।

लंच बादः

पत्रावली, दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अनीस, जेरे हिरासत, न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

दंड के बिंदु पर दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष को सुना गया।

दोषसिद्ध की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है एवं वह कम आयु का है तथा अपने घर का अकेला कमाने वाला है। अतः उसे कम से कम दंड से दंडित किया जाए, जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध ने एक नाबालिग पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा शादी किये जाने हेतु उक्त पीड़िता को विवश करने के आशय से, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसका व्यपहरण कर, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करते हुए, उसके साथ उसकी

इच्छा एवं मर्जी के विरूद्ध जबरन बलात्कार कारित कर, अत्यंत गंभीर प्रकृति का जघन्य अपराध किया है। अतः दोषसिद्ध को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाये।

इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्थाः** ***कर्नाटक राज्य बनाम राजू ए०आई०आर० 2007 एस०सी० 3225*** अत्यंत प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विनिश्चयन किया गया है कि न्यायालय को दंडादेश पारित करते समय अपराध की गंभीरता, प्रावधानित दंड, अपराध में अभियुक्त की भूमिका, पीड़ित पक्ष की त्रासदा एवं उस अपराध का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए और दंडादेश ऐसा होना चाहिए कि उससे समाज में एक संदेश प्रसारित हो। दंड आदेश कठोर होना चाहिए। दंडादेश में अनावश्यक उदारता का समावेश नहीं होना चाहिए क्योंकि असम्यक उदारता एवं अनुचित सहानुभूति, न्याय व्यवस्था को अपेक्षाकृत ज्यादा क्षति पहुंचाती है।

इसी परिप्रेक्ष्य में **माननीय उच्च न्यायालय, ईलाहाबाद के द्वारा भी सम्मानित विधि व्यवस्थाः** ***वसीम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमिनल अपील नम्बर–2494/2018, निर्णय दिनांकित 16.12.2020,*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्थाः (1) रवादा शशिकला बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ए०आई०आर० 2017 सुप्रीम कोर्ट 1166, (2) सुमेर सिंह बनाम सूरजभान (2014)7 एस०सी०सी० 3235 व (3) श्याम नरायन बनाम एन०सी०टी० दिल्ली (2013)7 एस०सी०सी० 77 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण करते हुये, यह विनिश्चियन किया गया कि दण्ड की मात्रा निर्धारित करते समय न्यायालय को घटना कारित करने की रीति, घटना का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, घटना का वादी पक्ष एवं पीड़ित पक्ष पर पड़ने वाला प्रभाव एवं घटना कारित करने में अभियुक्त की भूमिका एवं हेतुक पर विचार करना चाहिये और समस्त तथ्यों के समरूप घटना के सापेक्ष दण्ड का प्रकार एवं अवधि का निर्धारण करना चाहिये।

इसी संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्थाः** ***मोफिल खाान एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य 2016(1) एस०सी०जे० 614 सुप्रीम कोर्ट***, भी बेहद प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चयन किया गया है कि न्यायालय को घटना के तत्वों को ध्यान में रखते हुए समुचित दंड देना चाहिए। न्यायालय को संपूर्ण घटनाक्रम को एक साथ विचारित करते हुए, संपूर्ण घटना का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव एवं दिए जा रहे दंड से समाज को प्रसारित होने वाले संदेश पर भी विचार करना चाहिए। समुचित दंड, विधि एवं न्याय के प्रभावी प्रशासन हेतु अत्यंत आवश्यक घटक है।

दोषसिद्ध के पक्ष में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं पाया जाता है जो कि अपराध के तत्व को एवं उसकी गंभीरता को घटाने वाला हो। दोषसिद्ध द्वारा, एक नाबालिग पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने अथवा शादी किये जाने हेतु उक्त पीड़िता को विवश करने के आशय से, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण कर, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर, उसकी इच्छा एवं सम्मति के विरूद्ध जबरन उससे बलात्कार कारित कर, गंभीर प्रकृति का जघन्य अपराध कारित किया गया है जो दोषसिद्ध की पाश्विकता को परिलक्षित करता हुआ दृष्टिगोचर कर रहा है।

इसी परिप्रेक्ष्य में **माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्थाः** ***अनवरसिन्ह उर्फ किरनसिन्ह फतेसिन्ह बनाम गुजरात राज्य (2021) 3 एस०सी०सी० 12 सुप्रीम कोर्ट*** बेहद महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विनिश्चयन किया गया है कि यदि अभियुक्त के द्वारा स्वयंअपने साक्ष्य से अपने अपराध की

गम्भीरता को घटाने वाले किसी घटक को तर्क के रूप में अथवा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो न्यायालय स्वतः यांत्रिक रूप से ऐसे किसी घटक की तलाश नहीं करेगी। दण्ड सदैव न्यायपूर्ण होना चाहिए और कारित अपराध के सापेक्ष होना चाहिए। बिना किसी कारण के उदारता प्रकट करते हुए, दण्ड को कमतर करने से, विधि एवं समाज दोनों को क्षति पहुंचती है।

इस संबंध में ही **माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्थाः** ***भगवान नरायन गायकवाड़ बनाम महाराष्ट राज्य 2021 (4) क्राईम्स 42 सुप्रीम कोर्ट*** भी अत्यन्त प्रासंगिक व महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विनिश्चयन किया गया है कि न्यायालय को सजा के बिन्दु पर विचार करते समय इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए कि अभियोजन कथानक में वे कौन से तत्व है जो कि अपराध कारित करने की मनःस्थिति को अग्रेतर करते हैं और कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि अपराध के तत्व को कमतर करती हैं। न्यायालय को दण्ड के प्रश्न पर विचार करते समय, किसी प्रकार से उत्तजेना एवं क्रोध के तत्व से बचना चाहिए और मात्र घटना एवं घटना कारित करने के रीति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, दण्ड के प्रश्न को विचारित करना चाहिए।

इसी संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय की ही सम्मानित विधि व्यवस्थाः** ***मुकेश एवं अन्य बनाम एन०सी०टी० दिल्ली एवं अन्य, ए०आई०आर० 2017 एस०सी० 2162 (निर्भया केस)***, भी अत्यंत प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विनिश्चयन किया गया है कि न्यायालय को दंड देने में अनावश्यक उदारता नहीं बरतनी चाहिए। न्यायालय को दंड देने में, अपराध कारित करने की विधि, अपराध की प्रकृति, पीड़ित पक्ष की स्थिति, समाज पर अपराध का प्रभाव, अभियुक्त का कार्य, आचरण एवं व्यवहार पर समीक्षा करते हुए, दंड पारित करना चाहिए। दंड सदैव उपयुक्त एवं अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के सापेक्ष होना चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि दोषसिद्ध अनीस को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के साथ ही साथ, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 की धारा 4 के तहत भी दोषसिद्ध किया गया है। इस सम्बंध में धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत यह प्राविधानित किया गया है कि जहां कोई कार्य या लोप इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित करता है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया अपराधी, केवल उस दण्ड का भागी होगा जो ऐसी विधि या इस अधिनियम के अधीन मात्रा में गुरुतर हो। किन्तु उक्त दोनों धाराओं अर्थात धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, में समान मात्रा के दंड का प्रावधान किया गया है तथा प्रकरण पाक्सो एक्ट से संबंधित है, ऐसी दशा में न्यायालय के मत में, दोषसिद्ध अनीस को उपरोक्त दोनों धाराओं में से, धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 के तहत दंडित किया जाना न्याय उचित होगा।

अतः दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात, दोषसिद्ध अनीस के द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को सम्यक रूप से दृष्टिगत रखते हुए, न्यायालय के मत में, दोषसिद्ध अनीस, को धारा 363, 366 व 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए, धारा 363 व 366 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का

संरक्षण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत निम्नलिखित दंड (तत्समय उपबन्धित दण्डानुसार) से दंडित किया जाना न्याय उचित प्रतीत होता हैः–

आदेश

दोषसिद्ध अनीस को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0-5,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषसिद्ध को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा,

दोषसिद्ध अनीस को धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0-10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषसिद्ध को डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा, एवं

दोषसिद्ध अनीस को धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0-20,000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषसिद्ध को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

उपरोक्त सभी सजाएं साथ साथ चलेंगीं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अनुसार, दोषसिद्ध अनीस द्वारा जेल में बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सजा में समायोजित की जाएगी।

अर्थदंड की समस्त धनराशि का पचहत्तर प्रतिशत भाग, माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के तहत रहते हुए, पीड़िता को अदा की जाये।

दोषसिद्ध न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अतः दोषसिद्ध का सजायाबी वारंट बनाकर, उसे उक्त सजा भुगतने हेतु, जिला कारागार, मुरादाबाद भेजा जाए।

दोषसिद्ध द्वारा धारा 437-ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में जमानतें दाखिल की जा चुकी हैं, जो निर्णयोपरान्त 06 माह तक प्रभावी रहेंगी।

निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद को प्रेषित की जाये।

दोषसिद्ध को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनाँकः 06.03.2025 **(रघुबर सिंह)**
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षिरत, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनाँकः 06.03.2025 **(रघुबर सिंह)**
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद।